[2022] 4 एस. सी. आर 225

वीरेंद्र

वी.

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील सं। 5 & 6 2018 का)

13 मई, 2022

[ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी

और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 376 ए, 376 (2) (आई), 302-पॉक्सो अधिनियम-एस। 6 - एक नाबालिग लड़की का बलात्कार और हत्या-अभियोजन मामला कि

अपीलार्थी-अभियुक्त ने बलात्कार किया था और पीड़ित की मृत्यु का कारण बनने के लिए गला घोंटा था, जो अपीलार्थी की चचेरी बहन की बेटी थी-पूछताछ के दौरान हिरासत में रहते हुए, अपीलार्थी ने खुलासा बयान दिया और

इसके बाद, उसके कहने पर, पीड़ित की लाश को बोरे के नीचे छिपा कर बरामद किया गया-पोस्टमार्टम और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ. एस. एल.) की रिपोर्टों से पता चला कि बलात्कार एक शैतानी और वीभत्स तरीके से किया गया था और उसके कारण मौत हुई थी।

गला घोंटना-निचली अदालत ने उसे आई. पी. सी. की धारा 172,376 ए, 376 (2) (आई) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत उसे मौत की सजा सुनाई गई-उच्च न्यायालय ने धारा 376 ए के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया आई. पी. सी. और निचली अदालत द्वारा पारित बाकी सजाओं की पुष्टि की गई, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दर्ज मौत की सजा भी शामिल है-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः मृत शरीर की बरामदगी, जो एक अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान के आधार पर एक अप्रयुक्त और जीर्ण-शीर्ण इमारत से छिपी हुई स्थिति में थी, एक महत्वपूर्ण आपत्तिजनक परिस्थिति है-एक और आपत्तिजनक परिस्थिति।

अपीलार्थी के खिलाफ माना जाता है कि उसके चेहरे और गर्दन पर नाखून के निशान हैं और स्पष्टीकरण देने में उसकी विफलता भी है मृतक को अंत में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपीलार्थी के साथ देखा गया था-यह स्पष्ट है कि इस मामले में एक अतिरिक्त लिंक उपलब्ध है क्योंकि

अपीलार्थी की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत की गई व्यक्तिगत जांच में सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों की व्याख्या करने में विफलता सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों का संचयी प्रभाव, निश्चित रूप से अपीलार्थी के अपराध के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को उचित ठहराएगा-निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने भी सही निष्कर्ष निकाला है कि पीड़ित की मृत्यु हत्या है-न्यायालयों ने भी सही पाया है कि पीड़ित के साथ बलात्कार किया गया था-इस प्रकार, मामले की पूरी तरह से सावधानीपूर्वक जांच करने पर, कोई विकृति या विकृति नहीं है।

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष के संबंध में अवैधता प्रकट करना कि अपीलार्थी ने अपराध किए थे। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 354 (3) मृत्युदंड-यह दंड एक अपराधी को दिया जाता है केवल मामले की श्रेणी 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों' के तहत आती है, अपराधी बड़े पैमाने पर और सुधार से परे समाज के लिए खतरा बन गया है और उसका

खतरे के उन्मूलन का एकमात्र तरीका उन्मूलन है-वर्तमान मामले को 'दुर्लभतम दुर्लभतम मामलों' की श्रेणी में आने वाला नहीं माना जा सकता है जिसमें मृत्युदंड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मृत्युदंड को कम करते हुए, अपीलार्थी को समय से पहले रिहाई/छूट के प्रावधानों को लागू किए बिना आजीवन कारावास की सजा दी गई थी।

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 302 , 304 - दोषपूर्ण हत्या और हत्या-दोषपूर्ण हत्या के मामलों में सही दृष्टिकोण है

पहले यह पता लगाएँ कि क्या अपराध चार खंडों में से किसी के अंतर्गत आता है। , खंड सबसे पहले से चौथे यू/एस। 300 आई. पी. सी.-यदि ऐसा पाया जाता है, तो न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या मामला इनमें से किसी एक के दायरे में आता है। आई. पी. सी. की धारा 300 के पांच अपवाद, जो एक गैर-इरादतन हत्या को 'हत्या के बराबर नहीं' बना देगा-अपराध, यदि साबित हो जाता है, तो उक्त अपवादों में से एक के तहत आने के लिए दंडनीय होगा। 304 , या तो भाग 1 या भाग 2 के तहत, जैसा भी मामला हो, या अन्यथा यह यू/एस के तहत दंडनीय हत्या होगी। 302 आईपीसी.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.53A-चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की जाँच-डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग का गैर-संचालन इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक निष्पक्ष

निष्पक्ष सुनवाई के लिए जांच आवश्यक है-हालांकि, केवल जांच में दोषों या कमियों के कारण एक आरोपी बरी होने का हकदार नहीं है-डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग करने की चूक या चूक (उद्देश्यपूर्ण या अन्यथा) को बलात्कार के अपराध के लिए मुकदमे के भाग्य का फैसला करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से जब इसे हत्या के अपराध के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि बरी होने के मामले में केवल जांच में इस तरह के दोष या दोष के कारण आपराधिक न्याय का कारण पीड़ित बन जाएगा। साक्ष्य अधिनियम, 1872-परिवेशी साक्ष्य-अंतिम बार देखा गया सिद्धांत-तत्काल मामले में, विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पूरी तरह से "अंतिम बार देखे गए सिद्धांत"-वीरेंद्र बनाम की पुष्टि पर आधारित नहीं थी।

मध्य प्रदेश राज्य

उच्च न्यायालय द्वारा घोषित तरीके से विजय और सजा भी पूरी तरह से "अंतिम बार देखे गए सिद्धांत" पर आधारित नहीं है-निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने मौखिक गवाहों की गवाही और अन्य भौतिक साक्ष्यों पर भरोसा किया।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. धारा 53 ए Cr.P.C के तहत प्रावधान की प्रकृति और निर्दिष्ट निर्णयों को देखते हुए, इस न्यायालय का यह भी विचार है कि चूक या चूक (उद्देश्यपूर्ण या त्रुटिपूर्ण) अन्यथा) डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग करने के लिए, अपने आप में, बलात्कार के अपराध के लिए मुकदमे के भाग्य का फैसला करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से जब इसे हत्या के अपराध के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि बरी होने की स्थिति में केवल जांच में इस तरह के दोष या दोष के कारण आपराधिक न्याय का कारण होगा।

शिकार बन जाते हैं। इस चर्चा का परिणाम यह है कि भले ही किसी दिए गए मामले में जांच में ऐसी त्रुटि हुई हो,

न्यायालय का अभी भी यह कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या इस तरह की चूक के बावजूद, मामले की श्रृंखला में विभिन्न संबंध हैं।

परिस्थितियाँ एक पूरी श्रृंखला बनाती हैं जो केवल अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की सभी परिकल्पनाओं को छोड़कर उसके अपराध की ओर इशारा करती हैं। [पैरा 28] [251-जी-एच; 252-ए-सी]

2. उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में,

डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग न रखने के तथ्य और धारा 53 ए के तहत प्रावधान पर आधारित अपीलार्थी की दलीलों को ही खारिज किया जाना है। जैसा कि सुनील के मामले में माना गया है, डी. एन. ए. परीक्षण का सकारात्मक परिणाम अभियुक्त के खिलाफ निर्णायक साक्ष्य होगा। लेकिन, डी. एन. ए. परीक्षण या डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग का एक नकारात्मक परिणाम नहीं किया गया है और न ही एकमात्र कारण के लिए, अभियोजन मामले की विफलता का परिणाम हो सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी परिस्थितियों में भी, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभिलेख पर अन्य सामग्रियों और साक्ष्यों का वजन करे ताकि अपीलार्थी के अपराध या अन्यथा के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके और यह कि निचली अदालत ने वास्तव में क्या किया था। और फिर उच्च न्यायालय द्वारा, तत्काल मामले में। [पैरा 30] [253-बी डी]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत दोषी ठहराए जाने में हस्तक्षेप किया था।

दोषारोपण करने वाली परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला बनी, जो उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित अपनी निर्दोषता के पक्ष में सभी परिकल्पनाओं को छोड़कर केवल अपीलार्थी के अपराध की ओर ले जाती है। सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों पर विस्तार से विचार करना और

उनका समर्थन करने के लिए उपलब्ध सामग्री जो उच्च न्यायालय के साथ वजन करती है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि वे यह दिखाने के लिए जाएंगे कि इसके बावजूद एक निरंतर और पूर्ण श्रृंखला

परिस्थितियाँ और उनका समर्थन करने वाली सामग्री उपलब्ध है और वे अपीलार्थी की निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत हैं और केवल उसके अपराध के अनुरूप हैं। सबसे बढ़कर, यह स्पष्ट है कि इस मामले में एक अतिरिक्त लिंक उपलब्ध है जो अपीलार्थी की ओर से सभी उपरोक्त दोषपूर्ण परिस्थितियों को समझाने में विफलता के कारण है। धारा 318, Cr.P.C के तहत जाँच किए जाने के दौरान सभी प्रश्नों के संबंध में उनके उत्तर या तो गलत थे या 'मुझे नहीं पता'। अपीलार्थी के लिए बिल्कुल कोई मामला नहीं है कि सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों को उसके सामने नहीं रखा गया था। पट्टू राजन के मामले और अन्य निर्णयों को देखते हुए, जैसे कि, त्रिमुख मारौती किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऊपर वर्णित दोषपूर्ण परिस्थितियों पर परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाएगी। उपरोक्त सभी परिस्थितियों का संचयी प्रभाव, जिसका यहाँ पहले विस्तार से उल्लेख किया गया है, निश्चित रूप से अपीलार्थी के अपराध के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को उचित ठहराएगा। [पैरा 47] [265-डी-एच]

4. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी समवर्ती रूप से

निष्कर्ष निकाला कि पीड़ित की मृत्यु प्रकृति में हत्या है। इस अदालत ने अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर पाया है कि अदालतों ने सही पाया है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था। जिस शैतानी और वीभत्स तरीके से अपीलार्थी ने असहाय लोगों को अपमानित किया था

लड़की अपने पुडेंडा पर गंभीर चोटों से स्पष्ट है। गुदा तक फैली चौथी कक्षा के बारहमासी आँसू हुए और उसका गर्भाशय फट गया था और योनि से बाहर आ रहा था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, जाँच में योनि के फाहे से रक्त और वीर्य की उपस्थिति का पता चला। इसलिए, यह निष्कर्ष कि मृतक के साथ बलात्कार किया गया था, कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। [पैरा 48] [266-ए-सी] वीरेंद्र बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य

5. अब सवाल यह है कि क्या

पीड़ित की हत्या हत्या के बराबर है या क्या यह धारा 304 (1) या 304 (2) के तहत आती है जैसा कि अपीलार्थी ने तर्क दिया है। विवादित निर्णय से पता चलता है कि उच्च

अदालत ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की कि पीड़ित की हत्या हत्या के बराबर है। अधिकार। गैर-इरादतन हत्या के मामलों में पहले यह पता लगाना है कि क्या

अन्यथा यह आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय हत्या होगी। हाथ में मामले में निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण किया था और पाया था कि अपीलार्थी ने इस तथ्य की परवाह किए बिना पीड़ित की गर्दन को इतना जोर से दबाया था कि वह केवल 8 वर्ष की थी और आंतरिक रक्तस्राव का कारण बनी थी। मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था। मृतक की गर्दन पर पाई गई चोटों की प्रकृति से पता चलेगा कि अपीलार्थी द्वारा गर्दन पर लगाया गया दबाव। तथ्य यह है कि

पीड़ित एक असहाय लड़की थी जिसकी उम्र केवल 8 वर्ष थी, इस प्रश्न पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। इरादा एक व्यक्तिपरक तत्व है और प्रत्येक समझदार व्यक्ति को उस परिणाम का इरादा रखने के लिए माना जाना चाहिए जो उसका कार्य सामान्य रूप से उत्पन्न करता है। इसलिए, 25 वर्ष की आयु के युवक द्वारा लगभग 8 वर्ष की आयु की बालिका की गर्दन को उंगलियों या हथेली से इस तरह के बल से सिकुड़ना, जिससे चोट लग सकती है।

यहाँ पहले उल्लिखित को उसकी जान लेने के इरादे के बिना नहीं कहा जा सकता है। यदि उक्त कृत्य उसके गुप्तांगों पर लगी गंभीर चोटों से सामने आए शैतानी और वीभत्स तरीके से बलात्कार के बाद किया गया था, तो परिस्थितियों से केवल मृत्यु का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि कथित चोटों के परिणामस्वरूप गर्दन को इस तरह से दबाने का कार्य बलात्कार के अपराध से पहले किया गया था, तो जिस तरीके से उसे प्रताड़ित किया गया था, उसे केवल जानबूझकर किए गए कार्य के रूप में लिया जाना चाहिए कि यह ऐसा है

आसन्न रूप से खतरनाक है कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है। इस प्रकार, हत्या की मृत्यु को किसी भी कोण से देखने पर या तो खंड 1 या खंड [2022] 4 एस. सी. आर. गिर जाएगा।

4 आई. पी. सी. की धारा 300। अपीलार्थी द्वारा यह तर्क देने का एक कमजोर प्रयास किया गया था कि अदालतों ने अपीलार्थी को दोषी ठहराने में गलती की थी

आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत, आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत दंडनीय है और यदि उसे पीड़ित की मौत के लिए दोषी ठहराया जाना है तो यह आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत होना चाहिए था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक बार जब यह पाया जाता है कि यह अधिनियम आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत 4 खंडों में से किसी एक के तहत आता है, तो इसे इसके दायरे से बाहर लाने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि यह आई. पी. सी. की धारा 300 के पांच अपवादों में से किसी एक के तहत आता है। अभिलेख पर कुछ भी नहीं है और अपीलार्थी द्वारा सामग्री के समर्थन से यह दिखाने के लिए कोई विवाद भी नहीं उठाया गया था कि उक्त पाँच अपवादों में से कोई भी इस मामले में आकर्षित करता है। वास्तव में, अपीलार्थी द्वारा लिखित निवेदन में आग्रह किया गया और लिया गया एकमात्र तर्क यह है कि मृतक की मृत्यु उसकी गर्दन पर चोट के कारण हुई थी जो बलात्कार के दौरान काफी स्वाभाविक रूप से हुई थी। इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि उक्त तर्क स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है और किसी भी तरह से अपराध को पाँच अपवादों में से किसी एक के तहत लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

आईपीसी की धारा 300। चर्चा का लंबा और छोटा हिस्सा यह है कि निचली अदालत के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी कि अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय हत्या करने का दोषी है। इस प्रकार, मामले की पूरी तरह से सावधानीपूर्वक जांच करने पर, हम निचली अदालत और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष के संबंध में कोई विकृति या प्रकट अवैधता नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी ने आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध किए थे।

376 (2) (i) आई. पी. सी. और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6। [पैरा 50] [267-ए एच; 268-ए-डी]

6. अगला सवाल यह है कि क्या निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। हत्या के अपराध की सजा बरकरार रखी जाए या प्रतिस्थापित की जाए? यह जुर्माना एक अपराधी को दिया जाता है, केवल मामले की श्रेणी 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों' के अंतर्गत आती है, अपराधी बड़े पैमाने पर और सुधार से परे समाज के लिए खतरा बन गया है और उसका उन्मूलन ही खतरे के उन्मूलन का एकमात्र तरीका है। के लिए

उक्त प्रश्न का निर्णय लेने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा। निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा सजा देने के लिए किए गए विचार की सावधानीपूर्वक जांच करने पर

आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत दोषसिद्धि, आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय, इस न्यायालय का विचार है कि वीरेंद्रा बनाम के संबंध में प्रश्न।

धारा 354 (3) Cr.P.C के तहत वैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे विचार करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक जीवन की समाप्ति, एक सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है। [पैरा 52] [268 - एफ-एच; 269-ए]

7. यह सच है कि सभी हत्याएँ अमानवीय हैं। लागू करने के लिए

ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार यह भी एक तथ्य है कि अपराध करने के समय अपीलार्थी की आयु 25 वर्ष थी। इसलिए, इस मुद्दे को उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की संभावना और संभावना को खारिज करने का कोई कारण नहीं मिलता है। चर्चा की लंबी और छोटी बात यह है कि वर्तमान मामला नहीं हो सकता है यह 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों' की श्रेणी में आता है जिसमें मृत्युदंड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। [पैरा 56] [273-सी-एफ]

8. इस प्रकार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले में एक असहाय 8 वर्षीय लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि अपीलार्थी की चचेरी बहन की बेटी है, के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

वह भी, अभिलेख पर साक्ष्य से प्रकट अत्यंत क्रूर तरीके से, हमारा विचार है कि स्वामी श्रद्धानंद के मामले में निर्णय में अपनाया गया मार्ग और

श्रीहरण के मामले में दोहराया गया इस मामले में अपनाया जाना चाहिए।

दूसरे शब्दों में, मृत्युदंड को कम करते समय भी, अपीलार्थी को पर्याप्त अवधि के लिए समय से पहले रिहाई/छूट के प्रावधानों को लागू किए बिना आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। इस तरह के विचार पर हमारा विचार है कि समय से पहले रिहाई/छूट के प्रावधानों को लागू किए बिना 30 (तीस) साल की अवधि के लिए वास्तविक कारावास का प्रावधान करके, आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा देना उचित और उचित होगा। [पैरा 58] [274-सी-ई]

9. इन परिस्थितियों में, इन अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति दी गई है जैसा कि नीचे दिया गया हैः (i) अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 और 376 (2) (i) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है और उसके लिए दोषसिद्धि के लिए उसे दी गई सजा, आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए पुष्टि की जाती है; (ii) हालांकि, आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा को इस शर्त के साथ आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है कि वह समय से पहले रिहाई या छूट का हकदार नहीं होगा।

तीस (30) वर्ष की अवधि के लिए वास्तविक कारावास से गुजर रहा है; (iii) जुर्माना राशि और चूक शर्तों सहित अपीलार्थी को दी गई सजा की अन्य शर्तें भी पुष्टि की जाती हैं। अपीलार्थी को दी गई सभी मूल सजाएं समवर्ती रूप से चलेंगी। [पैरा 59] [274-एफ-एच; 275-ए]

डब्ल्यू. बी. राज्य बनाम। मीर मोहम्मद उमर और ओआरएस। (2000) 8 एससीसी 382: [2000] 2 पूरक। एस. सी. आर. 712; सुनील बनाम. मध्य प्रदेश राज्य (2017) 4 एस. सी. सी. 393; राजस्थान राज्य बनाम काशी राम (2006) 12 एस. सी. सी. 254 [2006] 8 पूरक। एससीआर 501; पट्टू राजन बनाम। तमिलनाडु राज्य (2019) 4 एस. सी. सी. 771 [2019] 5 एस. सी. आर. 535; दिलीप सिंह और अन्य। वी.

पंजाब राज्य ने ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364 में बतायाः [1954] एस. सी. आर. 145; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम दीपक हलदर और अन्र।

शंकर किशनराव खाड़े बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2013) 5 एस. सी. सी. 546; पप्पु बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (Crl.A.No। 2018 का 1097-1098 सर्वोच्च वीरेंद्र बनाम द्वारा तय किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य

न्यायालय); भारत संघ बनाम। श्रीहरण (2016) 7 एस. सी. सी. 1: [2015] 14 एस. सी. आर. 613-निर्भर।

राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2019) 12 एससीसी 460: [2018] 14 एससीआर 585; तहसीलदार सिंह और अन्र। वी. उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर 1959 एस. सी. 1012: [1959] पूरक। एस. सी. आर. 875; पुधु राजा और अन्र। वी. राज्य (2012) 11 एस. सी. सी. 196 [2012] 8 एस. सी. आर. 740; हरियाणा राज्य बनाम।

[2014] 11 एस. सी. आर. 1009; निजाम और अन्र। वी. राजस्थान राज्य (2016) 1 एस. सी. सी. 550 [2015] 10 एस. सी. आर. 786; अरबिंद्र मुखर्जी बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2011) 14 एस. सी. सी. 352; खुर्शीद अहमद बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य (2018) 7 एससीसी 429 [2018] 6 एससीआर 1121; सुखर बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1999) 9 एससीसी 507: [1999] 3 पूरक। एस. सी. आर. 314; चाणक्य धीबर बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2004) 1 अपराध 196; गोविंदराजू @गोविंदा बनाम। राज्य (2012) 4 एससीसी 722: [2012] 5 एस. सी. आर. 67; जहरलाल दास बनाम। उड़ीसा राज्य ए. आई. आर 1991 एस. सी. 1388: [1991] 2

एस. सी. आर. 298; मो. मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य (2011) 5 एससीसी 317: [2011] 5 एस. सी. आर. 518; कंस बेहरा बनाम। ओरिसा एयर 1987 एस. सी. 1507 राज्यः [1987] 2

एस. सी. आर. 1096; त्रिमुख मारौती किरकान बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2006) एयर एससीडब्ल्यू 5300; स्वामी

श्रद्धानंद बनाम। कर्नाटक राज्य (2008) 13 एस. सी. सी. 767 [2008] 11 एस. सी. आर. 93; भारत संघ बनाम। श्रीहरण (2016) 7 एस. सी. सी. 1: [2015] 14 एस. सी. आर. 613-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 14 एससीआर 585

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[1959] पूरक। एससीआर 875

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2012] 8 एससीआर 740

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[1999] 3 एससीआर 529

संदर्भित किया गया है

पैरा 16.1

उस पर भरोसा करें

[2000] 2 पूरक। एससीआर 712

पैरा 16.3

(2017) 4 एस. सी. सी. 393

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[2014] 11 एससीआर 1009

पैरा 29

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को संदर्भित किया गया

[2015] 10 एससीआर 786

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2006] 8 पूरक। एससीआर 501

उस पर भरोसा करें

पैरा

(2011) 14 एस. सी. सी. 352

संदर्भित किया गया है

पैराः

[2019] 5 एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1954] एससीआर 145

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2018] 6 एससीआर 1121

संदर्भित किया गया है

पैराः

[1999] 3 पूरक। एससीआर 314

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2012] 5 एससीआर 67

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1991] 2 एससीआर 298

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2011] 5 एससीआर 518

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2009] 8 एससीआर 530

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1987] 2 एससीआर 1096

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2013] 3 एससीआर 1172

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

(2006) एयर एससीडब्ल्यू 5300

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[2008] 11 एससीआर 93

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2015] 14 एससीआर 613

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः सी.

नं. 5 & 6 2018 से।

14.07.2016 o दिनांकित निर्णय और आदेश से

मध्य प्रदेश के सी. आर. आर. एफ. सी. नं. में ग्वालियर की पीठ। सीआरएल। 2015 की अपील सं. 39।

सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , (एससीएलएससी), ऋषि एम.

पाठक, साई कृष्ण, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

पुलकित अग्रवाल, सुश्री साक्षी विजय, पशुपति नट

उत्तरदाता के लिए।

वीरेंद्र बनाम. मध्य प्रदेश राज्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी. टी. रविकुमार जे.

1. अपीलार्थी, जिसे चचेरा भाई होने के नाते बहिष्कृत करना था

पीड़ित की माँ की, उसकी मौत का कारण बनने के लिए कपड़े उतारने, मूर्ख बनाने और गला घोंटने के लिए पाया गया था। यह घटना 19.9.2014 पर 08 के बीच हुईः 30 अपराह्न और 09: 30 मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में ठाकुर दास बाबा रोड, डबरा में स्थित एक जीर्ण-शीर्ण, बेकार इमारत, जगान सिंधी के खंडहर बड़े ('वरंदा' के अर्थ में प्रयुक्त) के अंदर। इसके बाद इस निर्णय में इसे संक्षिप्तता के लिए केवल "घटना स्थल" के रूप में संदर्भित किया जाएगा। पीड़ित की उम्र 8 साल थी। अपीलार्थी, जो एक दोषी है-जिसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, आपराधिक संदर्भ मामले में ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2015 के सामान्य फैसले पर सवाल उठाता है, जिसका शीर्षक है "मध्य प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र" और आपराधिक अपील में 2015 का सामान्य फैसला।

जिसका शीर्षक है "वीरेंद्र बनाम। मध्य प्रदेश राज्य "। कथित घटना पर, अपराध No.857/2014 पुलिस स्टेशन, डबरा में दर्ज किया गया था, दोपहर के तुरंत बाद, सटीक रूप से 00 बजेः 05 20.09.2014 पर घंटे। अपीलार्थी को लगभग 04 बजे 20.9.2014 पर गिरफ्तार किया गया थाः 00 पी एम। भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए, 376 ए, 376 (2) (आई), 302 और 201 (संक्षेप में, आई. पी. सी.) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा समाप्त होने पर,

2012 (संक्षेप में, "पॉक्सो अधिनियम") द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डबरा के न्यायालय के समक्ष सत्र परीक्षण No.642/2014 में, उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं, 376 ए, 376 (2) (आई) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि दर्ज की गई थी। नतीजतन, उन्हें पहले दो मामलों में मौत की सजा सुनाई गई, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई और इसके अलावा तीसरे और चौथे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

सभी मामलों में 2,000/- रुपये के जुर्माने की सजा। सभी मूल सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था। जैसा कि उक्त निर्णय के तहत आदेश दिया गया था, मृत्युदंड की सजा के संबंध में, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय को CRRFC.01/2015 के रूप में संदर्भित किया गया था। अपीलार्थी ने यहाँ आपराधिक अपील No.39/2015 दायर की और उसे चुनौती दी

कथित अपराधों के लिए दोषसिद्धि और लगाए गए परिणामी दंड

इसके लिए। सामान्य निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील के साथ-साथ इसे दिए गए संदर्भ को भी अनुमति दीः -

" परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत उनकी दोषसिद्धि के साथ-साथ अपराध की सजा को तकनीकी आधार [2022] 4 एस. सी. आर. पर दरकिनार कर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जबकि निचली अदालत द्वारा दर्ज आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (आई) और आई. पी. सी. की धारा 302 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध की सजा की पुष्टि की जाती है। मुकदमे द्वारा भेजा गया संदर्भ

न्यायालय आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अपराध के लिए दर्ज मौत की सजा

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत हमारे द्वारा पुष्टि की जाती है। इसलिए ये अपीलें की जाती हैं।

2. संक्षेप में कहा जाए तो अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार हैः लक्ष्मीबाई बाथम (पीडब्लू-1) और श्री गणेश उनके माता-पिता हैं।

मृतक नाबालिग लड़की की उम्र 8 साल है। बृज लाल (पीडब्लू-2) और जानकी (पीडब्लू-3) उनके नाना-नानी हैं। पीडब्लू-1 अपीलार्थी दोषी की चचेरी बहन है। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी-दोषी मृतक नाबालिग लड़की का चाचा (मामा) होता है। घटना 08 के बीच हुईः 30 अपराह्न और 09: 30 19.9.2014 पर अपराह्न। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन लगभग 08 बजेः 30 शाम को, अपीलार्थी के पिता राजू बादाम ने उसे पास की दुकान से बीड़ी का एक बंडल खरीदने के लिए भेजा। दुकान की ओर बढ़ते हुए वह श्री पातिराम बासुदेव @पप्पु (पीडब्लू-4) के घर के पास से गुजरी। अपीलार्थी जो वहाँ था, पीडब्लू-4 और एक राकेश के साथ, उसे देखने आया। वे वहाँ पीने के लिए इकट्ठे हुए। पीड़ित को देखकर, अपीलार्थी ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है और फिर, वह उसके अनुचर को वादा करने के बाद उसके पीछे चला गया कि वह वापस आ जाएगा। इसके बाद वह लापता हो गई। आधी रात तक 00 बजे तक एक उत्साही, व्यर्थ खोज के बादः 05 20.09.2014 पीडब्लू-1 पर उसके लापता होने की शिकायत दर्ज की गई। 20.09.2014 पर ही,

अपीलार्थी और उपरोक्त राकेश और पातिराम से पूछताछ

अपीलार्थी बासुदेव @पप्पु को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में रहते हुए, अपीलार्थी ने Ext.P5-प्रकटीकरण वक्तव्य दिया और उसके बाद, उसके कहने पर, पीड़ित की लाश को बोरे के नीचे छिपा दिया गया।

ठीक हो गया। दो डॉक्टरों की एक टीम ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ. एस. एल.) की रिपोर्ट से पता चला कि बलात्कार शैतानी और वीभत्स तरीके से किया गया था और गला घोंटकर मौत हुई थी। अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने और मामला दर्ज करने के बाद, निचली अदालत ने शुरू में अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 364 ए, 376 (2) (आई), 302,201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3,5 और 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए। मुकदमा शुरू होने के बाद दिनांकित आदेश के अनुसार

16.12.2014 , अपीलार्थी के खिलाफ धारा 376 ए के तहत अपराध का आरोप भी लगाया गया था। 3. निचली अदालत के समक्ष, अपीलार्थी के खिलाफ उपरोक्त आरोप स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 1 से 19 और वीरेंद्र बनाम की जांच की थी।

चिह्नित सामग्री वस्तुओं की पहचान करने के अलावा पी-1 से पी-26 दस्तावेजों को प्रदर्शित करता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (संक्षेप में 'Cr.P.C.') के तहत जाँच में अपीलार्थी अपने खिलाफ दोषपूर्ण परिस्थितियों की व्याख्या करने में विफल रहा था। हालाँकि उन्हें अपना बचाव करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। इसका विश्लेषण करते हुए अभिलेख पर साक्ष्य, अर्थात। , घटनाओं की श्रृंखला और उसके परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अनुसार, विचारण न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया और सजा सुनाई जैसा कि पहले कहा गया था। यह घटनाओं की उक्त श्रृंखला और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन में है कि उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से उपरोक्त अपील और आपराधिक संदर्भ मामले को भी बताए गए तरीके से अनुमति दी।

4. इन अपीलों में अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा हैः

" याचिकाकर्ता शुरू में और बहुत सम्मान के साथ सीमित रहता है। यह याचिका निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा दी गई सजा के पहलू के संबंध में है।

इस प्रकार कहने के बाद अपीलार्थी ने वस्तुतः दिनांक 14.07.2016 के बहुत ही सामान्य निर्णय को चुनौती देने के लिए विभिन्न तर्क उठाए हैं। स्वयं। फिर भी, प्रासंगिक स्थिति में 'ए' और 'बी' के तहत बनाए गए कानून के प्रश्नों का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा। वे नीचे इस प्रकार पढ़ते हैंः -

" ए. क्या याचिकाकर्ता की आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य को देखते हुए टिकाऊ है जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य का सुझाव देता है कि मृतक की मृत्यु के कारण मृत्यु हो गई थी।
उसके निजी हिस्से पर लगी चोटों के लिए?

बी. क्या अभियोजक की हत्या करने का कोई इरादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसकी मृत्यु आयोग के दौरान हुई है

कथित बलात्कार? "

5. विवादों की बताई गई प्रकृति के बावजूद, परिस्थितियाँ और उनसे क्या अनुमान लगाया जा सकता है, हम इस पर विचार करने के लिए इच्छुक हैं।

अपील, सभी अनुमेय आधारों पर, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आई. पी. सी. के तहत दोषसिद्धि के लिए मृत्युदंड दिया गया है। हालाँकि, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील के दायरे और चित्रित रूपरेखा से बेखबर नहीं हो सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इस तरह की अपील में, एक नियमित अपील के विपरीत, यह न्यायालय पुनः विस्तृत विचार का अभ्यास नहीं करेगा।

साक्ष्य की प्रशंसा। आम तौर पर, ऐसी अपील में केवल दुर्लभ और [2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

असाधारण मामले जिनमें प्रकट अवैधता ने विवादित निर्णय (अपीलार्थी के मामले के अनुसार) को संक्रमित किया है, संबंधित है कि यह न्यायालय विशेष द्वारा अपील के बताए गए दायरे से परे जाएगा।

अदालत घटना स्थल से जब्त किए गए अंडरवियर की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य के बारे में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से असहमत थी (कला। एफ को शैडी के रूप में वर्णित किया गया है), जब इसे अपीलार्थी का माना जाता है। इन परिस्थितियों में इस प्रकार आश्वस्त करने के लिए एक अभ्यास प्राप्त किया केवल अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला का अस्तित्व, उसकी निर्दोषता के साथ संगत प्रत्येक परिकल्पना को छोड़कर, किया जाना है।

6. न्यायनिर्णायक कार्य में विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कियाः -

क) विशेषज्ञ की राय के साथ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

पीडब्लू-10, मृतक के शरीर का शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर और Ext.P24-एफएसएल रिपोर्ट से पता चलता है कि

पीड़ित का बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

ख) मृतक की आयु लगभग 8 वर्ष थी और इसलिए, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के तहत 'बच्चे' की परिभाषा के अंतर्गत आता है;

ग) मृतक को आखिरकार लगभग 08 बजे आरोपी के साथ देखा गयाः 30 19.09.2014 पर शाम को और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया और

हत्या की गई;

घ) 09.00 बजे के बाद 19.09.2014 पर आरोपी को आते देखा गया।

'घटना स्थल' के बड़ा से बाहर;

ई) अभियुक्त (Ext.P5) के प्रकटीकरण बयान के आधार पर और उसके कहने पर घटना से पीड़ित का नग्न शव बरामद किया गया, जिसे बोरे के नीचे छुपाया गया था।

जगह ';

च) अभियुक्त के शरीर पर अँगुली के नाखूनों के खरोंच पाए गए थे;

छ) मृतक के कपड़े बरामद किए गए।

अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी; वीरेंद्र बनाम।

ज) वीर्य योनि के फाहे में और कपड़ों पर भी मौजूद था।

अभियुक्त और मृतक का;

i) बोरे और कपड़ों पर भी मानव रक्त पाया गया था।

अभियुक्त और मृतक दोनों का;

जे) धारा 313, Cr.P.C के तहत परीक्षा के दौरान अभियुक्त की ओर से उसे दी गई आपत्तिजनक परिस्थितियों को समझाने में विफलता के कारण अतिरिक्त लिंक।

7. जैसा कि पहले कहा गया है, अपील में विवादित सामान्य निर्णय के अनुसार और पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को दिए गए संदर्भ में भी

मौत की सजा में से, उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि इस तरह के हस्तक्षेप के बावजूद अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है। यह सच है कि इस तरह के हस्तक्षेप के बावजूद उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि के साथ सहमति व्यक्त की है और निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि की है। उच्च न्यायालय ने अन्य अपराधों के लिए भी दोषसिद्धि और उसके लिए दी गई सजा को बरकरार रखा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर बताए गए दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेशों के साथ सहमति जताते हुए भी, कुछ निष्कर्षों पर जैसे कि घटना के स्थान पर पाए गए अंतर्वस्त्र के रूप में अपीलार्थी का, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच कोई तालमेल नहीं है। आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत दोषसिद्धि में वास्तव में तकनीकी कारणों से हस्तक्षेप किया गया था। यह उपरोक्त पहलुओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए है कि प्रतिद्वंद्वी विवादों को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनकी सराहना की जानी चाहिए।

8. न्यायमित्र के रूप में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री सोनिया माथुर और विद्वान स्थायी वकील श्री पशुपतिनाथ राजदान को सुना। मध्य प्रदेश राज्य के लिए। इन अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई।

और यह निर्णय उन दोनों का निपटारा करेगा।

9. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और अभिलेख पर सामग्री और उसकी दोषसिद्धि के लिए जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था, उनकी जांच से पता चलेगा कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं थी। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे साक्ष्य और जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया है, उन पर एक सरसरी नज़र डालने से भी पता चलता है कि अपीलार्थी

सन्देह का लाभ प्राप्त करने का हकदार था। दलीलों को दोहराते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना के स्थान पर अभियुक्त की उपस्थिति की ओर इशारा करने वाला कोई चिकित्सा साक्ष्य नहीं है। हालाँकि रक्त और वीर्य [2022] 4 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घटना के अगले दिन अपीलार्थी के घर से बरामद पैंट पर पाया गया, एफएसएल रिपोर्ट अनिर्णायक है और यह अपीलार्थी को मृतक के कपड़ों पर पाए गए खून और वीर्य से नहीं जोड़ती है। अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित तर्क भी उठाए गए थेः

" कि रिपोर्ट के अनुसार, नमूनों के विश्लेषण के मामले में बेंजिडीन/फेनॉल्फथेलिन और क्रिस्टल परीक्षण किए गए थे और उनमें से केवल क्रिस्टल परीक्षण एक निर्णायक परीक्षण है। इसलिए, प्रत्येक वस्तु पर किए गए परीक्षणों की प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए कार्यपत्रक की अनुपस्थिति में रिपोर्ट और संबंधित निष्कर्षों को खारिज कर दिया जाना चाहिए था; कि हालांकि अपीलार्थी के घर से जब्त की गई वस्तुओं की सूची में और जांच के लिए भेजा गया था, उसके घर से जब्त की गई पैंट को घटना के समय उसके द्वारा पहनी गई पैंट के रूप में वर्णित किया गया था, किसी भी गवाह ने इस तथ्य की गवाही नहीं दी थी कि यह वही था जो उसने घटना के दिन पहना था; कि अपीलार्थी के एमएलसी को Cr.P.C की धारा 53ए का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए आयोजित किया गया था। ; कि जैसा कि अपीलार्थी के चेहरे और गर्दन पर कथित रूप से पीड़ित के कारण हुए नाखून खरोंच से संबंधित है, खरोंच के बारे में साक्ष्य अविश्वसनीय है क्योंकि पीडब्लू-10 द्वारा मृतक के नाखून के नमूनों के संग्रह के बावजूद

उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया था।

10. अपीलार्थी की ओर से यह आगे का तर्क है कि हालाँकि,

पीडब्लू-14 ने गवाही दी कि उंगली के नाखून की चोटें अपीलार्थी के दाहिने गाल पर देखी गई थीं, उनका एमएलसी केवल चेहरे और गर्दन के बाईं ओर उंगली के नाखून की चोटों का संकेत देता था। किसी भी तरह से, उस मुद्दे पर कोई भरोसा नहीं दिया जाना चाहिए था क्योंकि अपीलार्थी अपनी औपचारिक गिरफ्तारी से पहले ही पुलिस की हिरासत में था, जैसा कि पीडब्लू-4 ने कहा है। यह भी तर्क दिया गया कि पीड़ित की जन्म तिथि स्कूल के रिकॉर्ड पेश करके साबित नहीं की गई थी। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि यह निष्कर्ष कि मृतक को अंततः आरोपी के साथ देखा गया था, विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं की उचित सराहना के बिना पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 की मौखिक गवाही पर भरोसा करने पर आया था। अपीलार्थी के अनुसार न तो पीडब्लू-2 और न ही पीडब्लू-4 ने पीड़ित के लापता होने के संबंध में शिकायत दर्ज कराते समय पुलिस को इसके बारे में सूचित किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडब्लू-4 में शामिल होने वाले राकेश और उस रात शराब पीने के लिए अपीलार्थी और मृतक के पिता श्री गणेश, जो एक प्रमाणक थे, से पूछताछ नहीं की गई।

बरामदगी और बरामदगी के लिए कुछ महज़रों को गवाही देना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। पीडब्लू-12 की गवाही के संबंध में कि वह वीरेंद्र बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.]

19.09.2014 की रात को लगभग 09 बजे अपीलार्थी को जगन सिंधी के बड़े से बाहर निकलते देखा थाः 00 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसे परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए था, क्योंकि धारा 161 Cr.P.C के तहत उनके बयान को देर से लिया गया था। एक वैकल्पिक तर्क के रूप में यह तर्क दिया जा सकता है कि पीडब्लू-12 एक संयोग गवाह है और उसकी गवाही विश्वसनीय नहीं है। 11. जैसा कि संबंधित है, परिस्थितियों की श्रृंखला में एक और कड़ी अर्थात। , के कहने पर मृतक के शरीर और कपड़ों की वसूली

अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि इसे साबित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी। इस संबंध में आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वसूली और जब्ती को पीडब्लू-2 द्वारा साबित किए जाने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए था क्योंकि वह मृतक के नाना होने के नाते एक संबंधित गवाह है। यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी के कथित रूप से उसके घर से बरामद किए गए कपड़ों को सील नहीं किया गया था और इसलिए, अपीलार्थी अपने घर पर मानव रक्त और वीर्य की उपस्थिति की व्याख्या करने में विफल रहा।

उसके घर से बरामद किए गए कपड़ों पर उसके खिलाफ एक परिस्थिति के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता था। उस संबंध में, यह आगे तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को मृतक के शरीर पर पाए गए नमूनों से जोड़ने के लिए कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था और इस तरह धारा 53 ए Cr.P.C का उल्लंघन किया गया था। उपरोक्त दलीलों के आधार पर, विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि इस तरह की स्पष्ट विसंगतियों, खामियों और अभियोजन पक्ष की ओर से बताई गई खामियों के कारण टिकाऊ नहीं है। किसी भी तरह से, जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था, वे अपीलार्थी के अपराध के संबंध में एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला के संबंधों में निरंतरता स्थापित नहीं करेंगे। दलीलों का सार यह है कि अपीलार्थी ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है और इस प्रकार, दी गई दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार किया जा सकता है और वह बरी होने का हकदार है।

12. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने यह तर्क देते हुए निर्णय को बनाए रखने की मांग की कि समवर्ती निष्कर्ष और

इसके लिए सौंपे गए कारण और कुछ नहीं बल्कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर साक्ष्य के उचित विश्लेषण और मूल्यांकन/पुनः मूल्यांकन के परिणाम हैं। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि धारा 53 ए Cr.P.C का पालन करने में विफलता पर आधारित तर्क किसी भी आधार या गुण से पूरी तरह से रहित है क्योंकि धारा 53 ए Cr.P.C के तहत कानून की स्थिति का सही अर्थ लगाने के बाद, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए शेष साक्ष्य की उचित सराहना की थी कि अभियोजन पक्ष [2022] 4 एस. सी. आर. में सफल रहा था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल 7 अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला स्थापित करने में। यह तर्क दिया गया कि पीडब्लू 2,4 और 12 की गवाही अनियंत्रित और विश्वसनीय हैं और इसलिए, उचित रूप से स्वीकार की गई हैं। और निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई की गई। हालाँकि, अपीलार्थी की ओर से पीडब्लू 2 और 4 की पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा की गई थी, लेकिन उनके इस कथन को बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं पाया जा सका कि उन्होंने अपीलार्थी की संगति में मृतक को अंतिम रूप से देखा था।

बलात्कार और हत्या के वीभत्स कृत्यों का आयोग। इसलिए, 'लास्ट सीन थ्योरी' को सही ढंग से लागू किया गया था, इसे प्रस्तुत किया गया था। पीडब्लू-12 एक संयोग गवाह है और उसका कथन है कि उसने अपीलार्थी को 9 के आसपास ठाकुर दास बाबा रोड से सटे जगन सिंधी के बड़ा से बाहर निकलते देखा थाः 00 आई. डी. 1 पर पी. एम. को उचित रूप से स्वीकार किया गया था क्योंकि अपीलार्थी न तो अपने कथन को बदनाम करने के लिए कुछ भी प्राप्त करने में सफल रहा था और न ही घटना स्थल के पास उस समय अपनी उपस्थिति के लिए कोई वैकल्पिक संभावित स्पष्टीकरण दिया था। शरीर की बरामदगी को साबित करने के लिए स्वतंत्र गवाह की गैर-जांच के अपीलार्थी के तर्क के संबंध में

और घटना स्थल से अपीलार्थी के कहने पर मृतक के कपड़े, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उनकी बरामदगी ठीक से ली गई थी जैसा कि पीडब्लू-2 के माध्यम से साबित किया गया था और उनका मृतक का नाना होना उसके साक्ष्य को बदनाम करने या इस तरह के विवाद को उठाने का कोई आधार नहीं है। पीडब्लू-16 (श्री जितेंद्र नागाइच) का नेत्र साक्ष्य-एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस दल का हिस्सा था

इस तरह की बरामदगी के समय पी. डब्ल्यू.-5 (श्री सोनिश वशिष्ठ)-जो पी. डब्ल्यू.-14 (अखिलेश भार्गव) के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं-पी. डब्ल्यू.-15 के ग्वालियर के तत्कालीन वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बालकृष्ण)-पुलिस फोटोग्राफर और पी. डब्ल्यू.-11 (श्री दीपक शुक्ला) जो तत्कालीन तहसीलदार और इलाके के कार्यकारी मजिस्ट्रेट थे और संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट के निर्देश पर घटना स्थल पर मौजूद थे, ने जांच की और उन्हें समर्थन दिया।

उक्त पहलुओं पर पीडब्लू-2 का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिन पर ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए भरोसा किया गया था, यह तर्क देने के लिए कि उन सभी परिस्थितियों को एक साथ लेने से इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए एक पूरी श्रृंखला बनेगी कि केवल अपीलार्थी ही दोषी है और वे उसकी निर्दोषता की किसी भी परिकल्पना के साथ असंगत हैं। संक्षेप में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी की ओर से उठाई गई दलीलें किसी भी गंभीर विचार के योग्य नहीं हैं और अपील खारिज होने योग्य है।

13. प्रतिद्वंद्वी दलीलों के आलोक में, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या अपीलार्थी को कथित अपराधों और सजाओं के लिए दोषी ठहराया गया है इसके लिए वारंट हस्तक्षेप लगाया गया। इस मामले में, अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत दोषसिद्धि के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होती है। शायद ही कभी, मौत की सजा दी जाएगी यदि आरोपी के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपराध तय किया जाता है। यह सच है कि ऐसे मामलों में भी असाधारण परिस्थितियों/विशेष परिस्थितियों के अस्तित्व से मृत्युदंड दिया जा सकता है। इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2019) 12 एस. सी. सी. 460] के फैसले में दोहराया गया था। हमें इस मुद्दे पर केवल तभी विस्तार करने की आवश्यकता है जब आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलार्थी की चुनौती को खारिज कर दिया जाए।

14. जाहिर है, इसके पक्ष में समवर्ती निष्कर्ष है

Ext.P17 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट उनके द्वारा साबित की गई जिसमें सभी पूर्व-पोस्टमार्टम चोटों को नोट किया गया है। पीडब्लू-10 ने अपदस्थ किया कि पोस्टमार्टम उनके और डॉ. आशा सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था और Ext.P17 रिपोर्ट उनके द्वारा तैयार की गई थी। उसकी लिखावट। इसलिए, एक गवाह के रूप में उनकी योग्यता निर्विवाद है। जाँच के दौरान, उन्होंने मृतक के शरीर पर पाए गए पूर्व-शव परीक्षण चोटों पर इस प्रकार गवाही दीः

घाव 3 इंच x 2.5 सेमी। , छोटी उंगली की अंदर की दिशा में;

1 .

घर्षण 3.5 इंच x 2.5 सेमी। लाबिया माजोरा के बाईं ओर।

एन.

संदूषण 4 सेमी। एक्स 5 सेमी। दाहिनी जांघ के ऊपरी हिस्से में।

3 .

संदूषण 4 सेमी। एक्स 3 सेमी। बाईं जांघ के ऊपरी हिस्से में।

4 .

3.5 इंच x 2.5 सेमी। चतुर्थ श्रेणी का योनि बारहमासी आँसू

5 .

गुदा तक फैला हुआ।

6 .

पूरी योनि पर सूजन और जमाव मौजूद था।

गर्भाशय फट गया था और योनि से बाहर आ रहा था।

7 .

8 सेमी x 2 सेमी। पेटिकल रक्तस्राव नीचे मौजूद था

गर्दन के उप त्वचीय ऊतक बाएं से फैले हुए हैं

गर्दन के दाईं ओर।

15. Ext.P17 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण 'गला घोंटने के कारण दम घुटना' है। पीडब्लू-10-डॉ. डी. सी. आर्य ने भी इस प्रभाव से पदच्युत कर दिया था। हालाँकि, अपीलार्थी का तर्क है कि जब वापस बुलाया जाता है और प्रतिपरीक्षा की जाती है, तो अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत आरोप जोड़ने के बाद, पीडब्लू-10 यह बयान देगा कि मृत्यु का कारण संभवतः अत्यधिक रक्तस्राव के साथ गर्भाशय टूटना हो सकता है।

हालाँकि, उनकी गवाही की जांच करने पर, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कि पीडब्लू-10 मनगढ़ंत था। उनका संस्करण इस प्रभाव के लिए था कि चोट Nos.7 और 8 की प्रकृति के कारण मृत्यु संभव होगी। यह कहना गलत है कि आज मैं गलत तरीके से कह रहा हूं कि मृत्यु चोट संख्या 7 और 8 के कारण हुई है, 'उन्होंने निम्नलिखित चोटों के संदर्भ में गवाही दीः

1. चतुर्थ श्रेणी के 3,5 इंच x 2.5 से. मी. का योनि पेरिनियल टियर

   गुदा तक फैला हुआ।

2. पूरी योनि पर सूजन और जमाव मौजूद था। गर्भाशय

   फटी हुई थी और योनि से बाहर आ रही थी।

अपीलार्थी की ओर से प्रयास यह है कि मृत्यु के कारण के संबंध में पीडब्लू-10 की राय में इसे एक विसंगति के रूप में चित्रित किया जाए और लाया जाए।

अंततः इस स्थिति का प्रचार करने के लिए कि मामला इसके अंतर्गत नहीं आएगा

आई. पी. सी. की धारा 300 आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय है।

16. विवाद के संदर्भ में केवल निम्नलिखित पहलुओं को संदर्भित करना उचित है और साथ ही एक के निक्षेपण का संभाव्य मूल्य भी।

डॉक्टर, एक विशेषज्ञ के रूप में गवाही दे रहे हैं। पोस्टमॉर्टम सर्टिफिकेट एक मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट है और इसमें दो भाग होते हैं। पहला शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर द्वारा पाए गए तथ्य हैं, जैसे कि चोटों की संख्या (पूर्व-शव परीक्षण सहित), चोटों की स्थिति और उनकी सीमा आदि, और दूसरा भाग मृत्यु के कारण के बारे में उनकी विशेषज्ञ राय है। यद्यपि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के समर्थन से दी गई डॉक्टर की राय को अधिक महत्व दिया जा सकता है, लेकिन अदालत अंतिम राय देने वाले के रूप में अपने कार्य का त्याग नहीं कर सकती है। नेत्र संबंधी और चिकित्सीय साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके गहन विश्लेषण पर, अदालत को अपने साक्ष्य तैयार करने और दर्ज करने होते हैं। मृत्यु के कारण के बारे में राय यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या किसी दिए गए मामले में शामिल मृत्यु आकस्मिक है या आत्महत्या या हत्या की प्रकृति की है। तहसीलदार सिंह और अन्र के फैसलों में। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1012) और पुधु राजा और अन्र। बनाम राज्य [(2012) 11 एस. सी. सी. 196] इस न्यायालय ने

वस्तुतः यह अभिनिर्धारित किया कि भूसे को भूसे से अलग करना और सच्चाई को हंगामा से अलग करना न्यायालय का कर्तव्य है।

बयानों से।

वीरेंद्र बनाम. मध्य प्रदेश राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.]

16.1 हरियाणा राज्य बनाम भागीरथ में निर्णय में [(1999)]

सी 96] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" चिकित्सा गवाह द्वारा दी गई राय इस विषय पर अंतिम शब्द होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की राय का न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाएगा। "

16.2 मयूर पनाभाई शाह बनाम राज्य के निर्णय में

चूहा [(1982) 2 एस. सी. सी. 396], गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील की अनुमति देते हुए, अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने के आदेश के खिलाफ एक अल को संक्षेप में खारिज कर दिया।आर आई. पी. सी. की धारा 376, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" हम सोचते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संक्षेप में खारिज कर दिया जाना चाहिए था और इसके अलावा हम ऐसा नहीं करते हैं।

मुझे लगता है कि विद्वान न्यायाधीश का यह कहना सही था कि "हमारी अदालतों को हमेशा डॉक्टरों को सच्चाई के गवाह के रूप में लिया गया है"। यहां तक कि जहां एक डॉक्टर ने अदालत में गवाही दी है, उसका सबूत होना चाहिए

किसी भी अन्य गवाह के साक्ष्य की तरह सराहना की जाती है और कोई निर्विवाद धारणा नहीं है कि एक डॉक्टर हमेशा सच्चाई का गवाह होता है।

16.3 पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर ओरस में निर्णय में। (2000) 8 एस. सी. सी. 382 में प्रतिवेदित (जिसे इसके बाद केवल मोहम्मद उमर का मामला कहा गया है), इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

बाईं ओर पसलियाँ (2-6) स्टर्नल की ओर और कुछ उंगलियों का फ्रैक्चर और पश्चवर्ती क्षेत्र के दाईं ओर और पसलियों के फ्रैक्चर के स्थान पर भी रक्त का बहिर्वाह। शेष चोटों में कुछ घाव, चोट और घाव शामिल थे। विसंगतियाँ। बायीं पिन्ना पर सिर्फ एक मामूली घाव था। दाएँ फेफड़े में भीड़ थी डॉक्टर ने कहा कि मृतक की मृत्यु कई चोटों के कारण हुई थी और

महत्वपूर्ण अंगों की चोटें और यह प्रकृति में हत्या थी।

22. निचली अदालत ने मृतक की मृत्यु के संबंध में इस आधार पर एक गलत निष्कर्ष निकाला कि लोक अभियोजक ने डॉक्टर से यह नहीं पूछा कि क्या चोटें मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त थीं। सत्र न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि उक्त मुद्दे परः

22] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि चोटें प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे,

यह नहीं कहा जा सकता है कि शव परीक्षण सर्जन द्वारा देखी गई चोटें

(पीडब्लू30) मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार थे

महेश "।

23. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अदालत के लिए फायदेमंद होता अगर

ताकि अदालत गलत निष्कर्ष पर पहुँच सके। हालांकि विशेषज्ञ नहीं पीडब्लू30, सत्र न्यायाधीश स्वयं एक अनुभवी होते

न्यायिक अधिकारी उन चोटों को देख रहे हैं जिनका वह खुद अनुमान लगा सकते थे

ऊपर दर्शाई गई चोटों से निष्कर्ष, जिसका विवरण डॉक्टर (पीडब्लू30) ने अपने साक्ष्य में कहा है।

(जोर दिया गया)

16.4 पिथिली ने कहा, निर्दिष्ट निर्णयों के आलोक में (ऊपर) यह

केवल यह कहा जा सकता है कि किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, विशेषज्ञ की राय को भी अदालत के हाथों उचित सराहना की आवश्यकता होती है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के समर्थन से दी गई डॉक्टर की राय बहुत अच्छी होती है।

वजन, यह सवाल करने के लिए कि क्या शामिल मृत्यु हत्या है या नहीं, सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए।

17. निर्दिष्ट निर्णयों से प्राप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए

(ऊपर) हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या यह समवर्ती निष्कर्ष कि पीड़ित की मृत्यु प्रकृति में हत्या थी, हस्तक्षेप की मांग करता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ऐसा करने में, न्यायालयों द्वारा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ पीडब्लू-10 की मौखिक गवाही पर भरोसा किया गया था। जाहिर है, पीडब्लू-10 कौन

मृतक के शरीर पर पोस्टमार्टम किया गया, उसके द्वारा तैयार किए गए Ext.P17 के समर्थन से, यह बयान दिया गया कि मृतक को पूर्व-शव परीक्षण चोटें लगी थीं, जैसा कि Ext.P17 रिपोर्ट में विशेष रूप से संकेत दिया गया है। मृतक के शरीर पर इस तरह की पूर्व-शव परीक्षण चोटों की उपस्थिति

विवाद में नहीं है। कथित विसंगति केवल मृत्यु के कारण के बारे में पीडब्लू-10 की राय के संदर्भ में थी। पीडब्लू-10 ने उनकी मृत्यु का कारण 'गला घोंटने के कारण दम घुटना' बताया। उन्होंने 8 सेंटीमीटर आकार

के पेटिकियल रक्तस्राव की उपस्थिति के बारे में बताया। x 2 सेमी। , गर्दन के उप-त्वचीय ऊतकों के नीचे बाईं ओर से दाईं ओर फैला हुआ।

वास्तव में, इन पहलुओं का विशेष रूप से Ext.P17 में भी उल्लेख किया गया था। अब, हम श्वासावरोध के कुछ पहलुओं पर विचार करेंगे। जब श्वसन

ऑक्सीजन की कमी के परिणामस्वरूप फेफड़ों के कार्य बंद हो जाते हैं, यह ऑक्सीजन की कमी के कारण हृदय की विफलता का कारण बनता है और मृत्यु के इस तरीके को एस्फिक्सिया कहा जाता है। वायु मार्गों को बंद करने के लिए गला घोंटने जैसे बाहरी दबाव के कारण श्वासावरोध हो सकता है। आघात मृत्यु का एक हिंसक रूप है जो इस प्रकार होता है -

लिगचर के माध्यम से या शरीर को निलंबित किए बिना अन्य तरीकों से गर्दन का संकुचन और थ्रॉटलिंग उंगलियों या हथेलियों द्वारा उत्पादित गर्दन के संकुचन द्वारा गला घोंटना है। श्वासावरोध द्वारा मृत्यु की पोस्टमॉर्टम उपस्थिति में केशिकाओं के टूटने के कारण विभिन्न अंगों की सीरस झिल्ली के नीचे देखे जाने वाले कई पेटिकियल रक्तस्राव शामिल हैं। उनमें बढ़े हुए दबाव का परिणाम। पीडब्लू-10 त्वचा के नीचे के ऊतकों के नीचे पेटीचियल रक्तस्राव की उपस्थिति के बारे में अपदस्थ

गर्दन बाईं ओर से दाईं ओर फैली हुई है। हालाँकि, पीडब्लू-10 की प्रतिपरीक्षा की गई थी, लेकिन उनके कथन को बदनाम करने के लिए उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। जब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, तो निचली अदालत और उच्च न्यायालय को पी. डब्ल्यू.-10 की मौखिक गवाही को Ext.P17 रिपोर्ट के साथ वजन देने में उचित ठहराया गया, ताकि गला घोंटकर दम घुटने के रूप में मृत्यु के कारण के बारे में राय बनाई जा सके।

18. विवाद के संदर्भ में मृतक के निजी अंगों पर लगी चोटों पर भी ध्यान देना उचित है।

पीडब्लू-10 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति का दृष्टिकोण। वह Ext.P17 के समर्थन से गवाही देगा कि मृतक को 3.5 सेमी x 2.5 सेमी के आकार के गुदा तक फैले चौथे दर्जे के बारहमासी आँसू थे। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी योनि में सूजन और भीड़ थी और उसका गर्भाशय फट गया था और योनि से बाहर आ रहा था। पीडब्लू-10 ने बयान दिया कि वे सभी चोटें पोस्टमार्टम से पहले की थीं। पूर्व-शव परीक्षण चोटों और पीडब्लू-10 के माध्यम से साबित उनकी स्थिति के बारे में Ext.P17 रिपोर्ट में निहित उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं को भी ट्रायल कोर्ट द्वारा ध्यान में रखा गया था। ऊपर उल्लिखित चोट ने मौत के कारण की राय का समर्थन करते हुए गला घोंटने के कारण दम घुटना और मृतक द्वारा ऊपर उल्लिखित पुडिकिल चोटों की गंभीर प्रकृति, स्पष्ट रूप से, निचली अदालत और उच्च न्यायालय को यह राय बनाने के लिए कहा कि मृतक लड़की की मृत्यु प्रकृति में हत्या थी। दोनों न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि गला घोंटने से श्वासावरोध मृत्यु का कारण है और इसके अलावा कि उसके गुप्तांगों पर लगी गंभीर चोटें भी प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क ने [2022] 4 एस. सी. आर. में हमारी सराहना नहीं की।

परिस्थितियाँ और उनके संयुक्त प्रभाव पर भी ध्यान देना। संक्षेप में, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि यह समवर्ती निष्कर्ष कि पीड़ित की मृत्यु प्रकृति में हत्या थी, किसी भी हस्तक्षेप को आमंत्रित नहीं करता है। 19. हम अपीलार्थी की इन दलीलों पर विचार करेंगे कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि,

यह निष्कर्ष निकालना कि पीड़ित की हत्या कर दी गई थी, अस्थिर है और यदि वह उसकी मौत का कारण बनने का दोषी है तो अपराध आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत ही होगा।

20. मृतक के गुप्तांगों पर लगी चोटों की गंभीरता के आलोक में, जैसा कि पीडब्लू-10 द्वारा साबित की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऊपर विस्तृत किया गया है और मृतक के योनि के स्वाब में रक्त और वीर्य की उपस्थिति का खुलासा करने वाली एफएसएल रिपोर्ट पर भी ध्यान देते हुए, निचली अदालत ने माना कि मृतक के साथ बलात्कार किया गया था।

उच्च न्यायालय ने उक्त चोटों की प्रकृति और मृतक से लिए गए योनि के फाहे में रक्त और वीर्य की उपस्थिति के तथ्य पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया और इस निष्कर्ष को कायम रखा कि मृतक के साथ बलात्कार किया गया था। इस प्रकार प्राप्त साक्ष्य की प्रकृति और जिस तरह से उनका विश्लेषण और सराहना की गई, उसके आलोक में,

हम इस समवर्ती निष्कर्ष के साथ कोई अवैधता या विकृति नहीं पाते हैं कि मृतक के साथ बलात्कार किया गया था।

21. जाहिर है, निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने इस सवाल का जवाब दिया कि अपराधों का लेखक कौन है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य। हम पहले ही उन विभिन्न परिस्थितियों पर ध्यान दे चुके हैं जिन पर निचली अदालत और बाद में उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पर दोषसिद्धि तय करने के लिए भरोसा किया था। यद्यपि न्यायालयों ने समवर्ती रूप से उसे बलात्कार और हत्या के अपराधों का दोषी पाया, लेकिन कुछ पहलुओं और परिस्थितियों पर निष्कर्षों/निष्कर्षों के संबंध में एकरूपता की कमी है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। उक्त मुद्दे पर ध्यान देने से पहले, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 ए पर आधारित अपीलार्थी के एक महत्वपूर्ण विवाद से निपटना ही उचित है, जिसे Cr.P.C द्वारा संहिता में जोड़ा गया था। (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 25)। धारा 53 ए (1) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" [53 ए. चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जाँच। - (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्कार का अपराध करने या बलात्कार करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होते हैं कि उसके व्यक्ति की जांच से ऐसे अपराध के बारे में सबूत मिलेगा।

मध्य प्रदेश राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.]

अपराध, यह सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए वैध होगा और निम्नलिखित के दायरे में ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में - उस स्थान से
सोलह किलोमीटर दूर जहां अपराध किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया गया है जो एक पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य कर रहा है जो एक उप-निरीक्षक के पद से कम नहीं है, और किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसकी सहायता में और उसके अधीन सद्भावना से कार्य कर रहा है।

गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी जांच करने और उस उद्देश्य के लिए यथोचित रूप से आवश्यक बल का उपयोग करने का निर्देश।

22. धारा 53 ए (1) Cr.P.C के तहत उपरोक्त निकाला गया प्रावधान यह दर्शाता है कि यह एक विस्तृत जांच के लिए प्रदान करता है, (जो

बलात्कार या बलात्कार का प्रयास करने के अपराध के आरोपी व्यक्ति के स्पष्टीकरण (ए) से धारा 53 ए Cr.P.C के तहत इस शब्द की व्याख्या उनके द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा की गई है।

सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा और उस स्थान से 16 किलोमीटर के दायरे में ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में जहां अपराध किया गया है, किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा। यह कथित कानूनी प्रावधान और अपीलार्थी के नमूनों की डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के गैर-संचालन की निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति है जिसने उसे धारा 53 ए Cr.P.C के उल्लंघन का तर्क लेने के लिए प्रेरित किया।

परिस्थितियों में, वह आगे तर्क देगा कि मृतक के शरीर से लिए गए नमूनों के साथ उसे जोड़ने के लिए निर्णायक सबूत का अभाव है। निश्चित रूप से, धारा 53 ए Cr.P.C के तहत प्रावधानों के संदर्भ में डीएनए प्रोफाइलिंग का संचालन न करना जांच में एक दोष है। लेकिन फिर, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग न रखने की उपरोक्त निर्विवाद स्थिति से यह सवाल उभरा कि क्या उक्त अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को केवल उसी आधार पर अलग रखा जा सकता है।

23. इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए एक निष्पक्ष जांच आवश्यक है। अतः यह कर्तव्य है कि

अभियुक्त और दोनों के अधिकारों की रक्षा के लिए जाँच एजेंसी

पीड़ित जांच के मामले में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करके और इस तरह एक निष्पक्ष, सक्षम और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए। ऐसा मानते हुए भी, हम इस स्थिति से अनजान नहीं रह सकते हैं कि केवल जांच में दोषों या कमियों के कारण एक आरोपी बरी होने का हकदार नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप का एकमात्र कारण भी नहीं हो सकता है यदि शेष साक्ष्य इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त ठोस हैं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. मीर मोहम्मद उमर के मामले (ऊपर) में निर्णय में,

अदालत ने कहाः

" हमारी धारणा में यह लगभग असंभव है कि एक भी

मामला जिसमें जांच पूरी तरह से त्रुटिहीन तरीके से की गई थी या पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण। आपराधिक न्यायालयों का कार्य होना चाहिए

जाँच में खामियों को चुनने में बर्बाद न करें और

जाँच अधिकारियों के खिलाफ अप्रिय आलोचना व्यक्त करना। अगर अपराधियों को केवल दोषों या दोषों के कारण बरी किया जाता है।

जाँच, आपराधिक न्याय का कारण पीड़ित बन जाता है।

अदालतों द्वारा यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि आपराधिक न्याय जाँच में इस तरह की खामियों के बावजूद बचाया गया। "

(जोर दिया गया)

25. विवादों के संदर्भ में यह अधिक उपयुक्त है कि

सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य में इस न्यायालय के निर्णय पर

7) 4 एस. सी. सी. 393] यह चार लोगों के बलात्कार और हत्या का मामला था (4)

बूढ़ा बच्चा। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 3. बहुत शुरुआत में, हम आगे दिए गए तर्कों से निपटते हैं

अपीलार्थी की ओर से कि वर्तमान मामले में डीएनए की रिपोर्ट

अनुभाग के तहत रक्त और शुक्राणु के नमूनों का परीक्षण

53 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का ए साबित नहीं हुआ है।

अभियोजन पक्ष द्वारा। इसलिए अभियोजन पक्ष साबित करने में विफल रहा है।

इसका मामला उचित संदेह से परे है। इस संबंध में रिलायंस ने

कृष्ण कुमार मलिक बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर रखा गया।

कृष्ण कुमार के मामले में इस न्यायालय की इस विफलता का पालन नहीं करता है अभियुक्त से लिए गए नमूनों का डी. एन. ए. परीक्षण करना या

डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट को साबित करें जैसा कि वर्तमान मामले में होगा

अनिवार्य रूप से अभियोजन मामले की विफलता का परिणाम है। जैसा कि आयोजित किया गया है कृष्ण कुमार (पैरा 44), धारा 53-ए वास्तव में "सुविधा प्रदान करता है

अभियुक्त के खिलाफ निर्णायक साक्ष्य का गठन करेगा यदि, हालाँकि, परीक्षण का परिणाम नकारात्मक यानी पक्ष में है

अभियुक्त या यदि किसी मामले में डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग नहीं की गई थी,

अन्य सामग्रियों और अभिलेख पर साक्ष्य का वजन अभी भी रहेगा

विचार करना पड़ता है। यह अभिलेख पर लाई गई अन्य सामग्रियों के लिए है।

अभियोजन द्वारा जिसकी ओर हम अब रुख कर सकते हैं। " वीरेंद्र बनाम.

मध्य प्रदेश राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.]

26. कृष्ण कुमार मलिक का मामला (ऊपर निर्दिष्ट) इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वीर्य के मिलान के संबंध में पैराग्राफ 43 में टेलर के मामले से निम्नलिखित अंश दिया गया था।

चिकित्सा न्यायशास्त्र के सिद्धांत और अभ्यास, द्वितीय संस्करण। (1965) था। इस प्रकार निकाला गयाः

" शुक्राणु शरीर में जीवन शक्ति (या मुक्त गति) बनाए रख सकते हैं।

लंबे समय तक महिला, और आंदोलन को हमेशा गीले नमूनों में देखा जाना चाहिए। स्खलन के बाद शुक्राणु जीवित रहने के वास्तविक समय को सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर कुछ घंटों की बात होती है। सीमोर ने देखने का दावा किया 5 दिन पुराने तरल पदार्थ में हलचल। दाग में मृत शुक्राणुओं का पता 5 साल की लंबी अवधि में लगाया जा सकता है। कुछ समय बीतने के बाद योनि में गैर-गतिशील शुक्राणु पाए गए जो 3 साल के होने चाहिए और 4 महीने के हो सकते हैं।

कृष्ण कुमार मलिक के मामले के पैराग्राफ 43 में,

उपरोक्त को निकालते हुए आगे यह अभिनिर्धारित किया गयाः

" यदि अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई होती, तो यह उसके लिए और अपीलार्थी के खिलाफ एक मूर्खतापूर्ण मामला होता।

इस न्यायालय ने पैराग्राफ 44 में इस प्रकार निर्णय दियाः

" अब, प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता डब्ल्यू. ई. एफ. 23.6.2006 में धारा 53-ए को शामिल करने के बाद, यह आवश्यक हो गया है। अभियोजन पक्ष को इस प्रकार के मामलों में डी. एन. ए. परीक्षण के लिए जाने के लिए, अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के खिलाफ अपना मामला साबित करने में सुविधा प्रदान करना।

27. जाहिर है, सुनील के मामले (उपरोक्त) में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कृष्ण कुमार मलिक के मामले में ऐसी टिप्पणियों पर विचार किया

और इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि 'डी. एन. ए. परीक्षण का सकारात्मक परिणाम अभियुक्त के खिलाफ निर्णायक साक्ष्य का गठन करेगा, यदि - हालांकि, परीक्षण का परिणाम नकारात्मक है यानी आरोपी के पक्ष में है या यदि किसी मामले में डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग नहीं की गई थी, तो अन्य सामग्री और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के वजन पर अभी भी विचार करना होगा।

28. धारा 53 ए Cr.P.C के तहत प्रावधान की प्रकृति और निर्दिष्ट निर्णयों (ऊपर) को ध्यान में रखते हुए हम भी विचारशील विचार रखते हैं।

कि डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग करने में चूक या चूक (उद्देश्यपूर्ण या अन्यथा) को बलात्कार के अपराध के लिए मुकदमे के भाग्य का फैसला करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से जब इसे [2022] 4 एस. सी. आर. के आयोग के साथ जोड़ा जाता है।

हत्या का अपराध, जैसा कि बरी होने की स्थिति में केवल जाँच में ऐसे दोष या दोष के कारण आपराधिक न्याय का कारण पीड़ित होगा। इस चर्चा का परिणाम यह है कि भले ही किसी दिए गए मामले में जांच में ऐसी त्रुटि हुई हो, फिर भी न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या इस तरह की चूक के बावजूद, मामले की श्रृंखला में विभिन्न संबंध हैं।

परिस्थितियाँ एक पूरी श्रृंखला बनाती हैं जो केवल अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की सभी परिकल्पनाओं को छोड़कर उसके अपराध की ओर इशारा करती हैं।

29. वास्तव में, राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक के मामले (ऊपर) में निर्णय भी हमारे विचार को मजबूत करेगा। पीठ आपराधिक अपील संख्या में पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार कर रही थी। 145-146 2011 से। वह एक तीन (3) वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या से जुड़ा मामला था जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। इसी तरह, उस मामले में भी, नमूने लिए जाने के बावजूद, अदालत के समक्ष डी. एन. ए. साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। जाहिर है, केवल अभियुक्त के अपराध और अन्य परिस्थितियों की ओर इशारा करने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य की अपरिवर्तनीय प्रकृति पर ध्यान देते हुए निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने न केवल दोषसिद्धि की पुष्टि की बल्कि मृत्युदंड की सजा की भी पुष्टि की। मूल रूप से, इस न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया और उसके बाद, खारिज की गई समीक्षा याचिकाओं को केवल मोहम्मद में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए विचार के लिए बहाल कर दिया गया। आरिफ बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने (2014) 9 एस. सी. सी. 737 में रिपोर्ट दी। पैराग्राफ 79 में, इस अदालत ने राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक के मामले में इस प्रकार निर्णय दिया:

" जहाँ तक वर्तमान याचिका का संबंध है, हमारी राय है कि सजा सुनाने के उद्देश्यों के लिए सत्र न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय ने अपीलार्थी के समाज में सुधार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण की संभावना पर विचार नहीं किया। वास्तव में, इस संबंध में किसी भी तरह से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अदालतों के समक्ष कोई सामग्री या साक्ष्य नहीं रखा गया था।

इस मामले में। अभियोजन पक्ष उपलब्ध डी. एन. ए. साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने में अक्षम था और भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता से अभियोजन पक्ष के खिलाफ और आर. पी. के पक्ष में एक प्रतिकूल अनुमान लगना चाहिए। (सीआरएल।) नं. 306-307 2013 में सी. आर. एल. अपील सं। 145-146 2011 का पृष्ठ 43 43 अपीलार्थी बनाम वीरेंद्र के प्रयोजनों के लिए।

मध्य प्रदेश राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.]

सजा सुनायो। निचली अदालत ने सजा सुनाने के उद्देश्यों के लिए, अपीलार्थी के खिलाफ दो समान मामलों की लंबितता को ध्यान में रखते हुए भी गलती की थी, जिन पर वह कानूनी रूप से विचार नहीं कर सकती थी। लेकिन हम बाद की बातों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते।

दो (वास्तव में तीन) समान मामलों के संबंध में विकास

अपीलार्थी के खिलाफ "।

30. उपर्युक्त निर्दिष्ट निर्णयों के आलोक में, अपीलार्थी की दलीलें डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग न रखने के तथ्य पर आधारित हैं।

और धारा 53 ए के तहत प्रावधान को केवल निरस्त किया जाना है। जैसा कि सुनील के मामले (ऊपर) में कहा गया है, डी. एन. ए. परीक्षण का सकारात्मक परिणाम अभियुक्त के खिलाफ निर्णायक साक्ष्य का गठन करेगा। लेकिन, डी. एन. ए. परीक्षण या डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग का एक नकारात्मक परिणाम नहीं किया गया है और न ही, उस एकमात्र कारण से, अभियोजन मामले की विफलता का परिणाम हो सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी परिस्थितियों में भी, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभिलेख पर अन्य सामग्रियों और साक्ष्यों को तौल कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसमें अपीलार्थी के अपराध या अन्यथा और ठीक वही जो निचली अदालत और फिर उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल मामले में किया गया था।

31. अब, हम अन्य सामग्रियों और अभिलेख पर साक्ष्य का उल्लेख करेंगे। पीडब्लू-3, जो मृतक की नानी हैं, ने पदच्युत किया कि

मृतक की आयु 8 वर्ष थी और घटना के दिन उसने फ्रॉक और जींस पैंट पहनी हुई थी। वह आगे बयान देगी कि वह और मृतक राजू के घर में थे जो कोई और नहीं बल्कि अपीलार्थी के पिता हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, वे सभी रिश्तेदार हैं। पीडब्लू-3 इसे लगभग 08 तक पदच्युत कर देगाः 30 अपराह्न राजू बादाम ने मृतक को लाने के लिए भेजा

पास की दुकान से बीड़ी का बंडल। उसके बाद से वह जिंदा घर नहीं लौटी थी। 32. अपीलार्थी पर दोषसिद्धि तय करने के लिए गवाहों के माध्यम से अभियोजन पक्ष द्वारा सामने लाया गया मामला परिस्थितियों की एक श्रृंखला का गठन करता है, जिसमें "अंतिम बार देखा गया सिद्धांत" भी शामिल है। मृतक को अंत में पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 द्वारा अपीलार्थी के साथ देखा गया। 'लास्ट सीन थ्योरी' निश्चित रूप से एक ऐसे अपराध में लागू होती है जैसे कि हाथ पर किया गया अपराध जो चालाकी से किया गया था।

रात के दौरान गोपनीयता, किसी भी चश्मदीद गवाह की उपलब्धता के अभाव में। 32.1 निजाम और अन्र में निर्णय में। बनाम राजस्थान राज्य [(2016) 1 एस. सी. सी. 550] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल 'अंतिम देखे गए सिद्धांत' पर दोषसिद्धि को आधार बनाना विवेकपूर्ण नहीं होगा। यह न्यायालय, स्पष्ट रूप से, एक चेतावनी देता है कि जहां 'अंतिम बार देखे गए' और 'घटना के समय' के बीच का समय अंतराल लंबा है, केवल अंतिम बार देखे गए [2022] 4 एस. सी. आर. पर दोषसिद्धि को आधार बनाना असुरक्षित होगा।

और अभिनिर्धारित किया कि ऐसी परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य परिस्थितियों और साक्ष्य से पुष्टि की तलाश करना सुरक्षित है।

32.2 राजस्थान राज्य बनाम काशी राम मामले में (2006) 12 एस. सी. सी. 254 में, पैराग्राफ 23 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 23. अधिकारियों के साथ गुणा करना आवश्यक नहीं है। सिद्धांत अच्छी तरह से तय किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान स्वयं स्पष्ट और स्पष्ट हैं कि कब

कोई भी तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, उस तथ्य को साबित करने का बोझ उस पर होता है। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को आखिरी बार मृतक के साथ देखा जाता है, तो उसे इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उसने कंपनी कैसे और कब अलग की। उसे एक ऐसा स्पष्टीकरण देना चाहिए जो अदालत को संभावित और संतोषजनक लगे। यदि वह ऐसा करता है तो उसे अपने बोझ का निर्वहन करने के लिए माना जाना चाहिए। यदि वह अपने विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में यदि अभियुक्त उस पर लगाए गए बोझ के निर्वहन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो वह स्वयं उसके खिलाफ साबित परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है। धारा 106 आपराधिक मुकदमे में सबूत के बोझ को स्थानांतरित नहीं करती है, जो हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। यह नियम निर्धारित करता है कि जब अभियुक्त ऐसा करता है उन
तथ्यों पर कोई प्रकाश न डालें जो विशेष रूप से उनके ज्ञान में हैं और जो उनकी निर्दोषता के अनुरूप किसी भी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन नहीं कर सकते हैं, अदालत उनकी विफलता पर विचार कर सकती है।

किसी भी स्पष्टीकरण को जोड़ने के लिए, एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में जो श्रृंखला को पूरा करती है। नैना मोहम्मद में इस सिद्धांत को संक्षेप में बताया गया है। ,

ए. आई. आर. 1960 मैड 218: 1960 सी. आर. एल. एल. जे. 620 "।
32.3 अरबिंद्र मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

[(2011) 14 एस. सी. सी. 352], आई. पी. सी. की धारा 302,364,120 बी और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सजा पाए दोषी की अपील को खारिज करते हुए, इस अदालत ने कहाः एक बार जब अपीलार्थी को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था, तो यह दिखाने की जिम्मेदारी उस पर है कि या तो वह घटना में बिल्कुल भी शामिल नहीं था या उसने मृतक को उसके घर या किसी अन्य उचित स्थान पर छोड़ दिया था। अंतिम बार देखे गए साक्ष्य और कानून में इसके परिणाम का खंडन करने के लिए, अभियुक्त पर साक्ष्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी थी।

अपनी बेगुनाही साबित करने का आदेश "। वीरेंद्र बनाम.

मध्य प्रदेश राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.]

32.4 पट्टू राजन बनाम तमिलनाडु राज्य में [(2019) 4 एससीसी

771] इस न्यायालय ने पैरा 63 में इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इसे इसके माध्यम से स्थापित किया गया है

इस न्यायालय के निर्णय का एक कैटेना कि अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत, यदि

साबित हुआ, सबूत का बोझ आरोपी पर डाल दिया

उसे यह समझाने की जिम्मेदारी है कि घटना कैसे हुई और क्या हुआ यह उस पीड़ित के साथ हुआ जिसे आखिरी बार उसके साथ देखा गया था। में विफलता

अभियुक्त की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना, जैसा कि

उसके खिलाफ और उसके अपराध के पक्ष में मजबूत धारणा के लिए, और परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करेगा।

(जोर दिया गया)

32.5 'अंतिम बार देखे गए सिद्धांत' से संबंधित विभिन्न पहलू, व्युत्पन्न

उपरोक्त निर्णयों से, अच्छी तरह से तय किए गए हैं और इसलिए, हम इस निर्णय को इस विषय पर आगे के अधिकारियों के साथ बोझ डालने की आवश्यकता नहीं समझते हैं।

33. परिस्थितियों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की जाँच

हाथ में लगे मामले से पता चलेगा कि निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि पूरी तरह से "आखिरी बार देखे गए सिद्धांत" पर आधारित नहीं थी। स्वाभाविक रूप से, उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए तरीके से दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि भी केवल "अंतिम सिद्धांत" पर आधारित नहीं है। जाहिर है, यह स्थापित करने के लिए कि मृतक को अंत में अपीलार्थी के साथ देखा गया था, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 2 और 4 की मौखिक गवाही पर भरोसा किया था। उनकी गवाही देने से पहले केवल मृतक की नानी, पीडब्लू-3 के मौखिक साक्ष्य का उल्लेख करना सार्थक है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उसने अपदस्थ कर दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह राजू के घर में उसके साथ थी

मृतक और लगभग 08 बजेः 30 राजू ने मृतक को बीड़ी खरीदने के लिए भेजा और उसके बाद वह घर नहीं लौटी। पीडब्लू-3 यह भी बताएगा कि मृतक ने तब कढ़ाई वाला चौड़ा फ्रॉक और नीला रंग का फ्रॉक पहना हुआ था

रंगीन जीन्स। उसके साक्ष्य को गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई थी। अब, हम पीडब्लू 4 और 2 के साक्ष्य का उल्लेख करेंगे। यह दुकान के रास्ते में है कि मृतक लड़की पीडब्लू-4 के घर से गुजरी थी। , पप्पु @पातिराम। पीडब्लू-4 और अपीलार्थी दोनों रिक्शा चालक हैं। पीडब्लू-4 यह बयान देगा कि स्वयं आईडी1 पर, अपीलार्थी और एक श्री राकेश उसके घर के सामने बैठे थे और नशे में होने की तैयारी कर रहे थे और वह खूंटे

बना रहा था। वह गवाही देगा कि पहले अपीलार्थी ने उसे Rs.50 पेय-धन के रूप में दिया था और आगे मृतक को देखने पर, [2022] 4 एस. सी. आर.

अपीलार्थी ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है और फिर उनसे वादा करने के बाद उसका पीछा किया कि वह वापस आ जाएगा। जाहिर है, यह स्थापित करने का एक कमजोर प्रयास किया गया था कि पीडब्लू-4 अपीलार्थी के प्रति शत्रुता का मनोरंजन कर रहा था। जाहिर है, उन्होंने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा, उक्त सुझाव को रखते हुए पीडब्लू-4 की विश्वसनीयता को तोड़ने के लिए कुछ भी सामने नहीं लाया गया। निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने पीडब्लू-4 की गवाही को अनियंत्रित और विश्वसनीय पाया। जब साक्ष्य का यह प्रभाव है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की शाम को अपीलार्थी, पीडब्लू-4 और एक अन्य पीडब्लू-4 के आवास पर एकत्र हुए थे, वह भी नशे के लिए, तो यह केवल यह कहा जा सकता है कि शत्रुता का सुझाव सही था।

दोनों न्यायालयों द्वारा।

34. अब, हम पीडब्लू-2 की गवाही का उल्लेख करेंगे। वह मृतक के नाना हैं। लेकिन, यह अपने आप में एक कारण नहीं हो सकता है

उसकी मौखिक गवाही को बदनाम करना या टालना। निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने उक्त स्थिति को स्वीकार करते हुए पीडब्लू-2 के साक्ष्य का विश्लेषण और सराहना की थी। जाहिर है, उन्हें पीडब्लू-2 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिला। उसकी गवाही की जांच करने पर, हमने यह भी पाया कि अपीलार्थी की ओर से उसकी पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा के बावजूद, उसके बयान को बदनाम करने के लिए कुछ भी सामने नहीं आया। उन्होंने इस प्रभाव से अपदस्थ किया कि वे ठाकुर बाबा रोड, डबरा में अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे और लगभग 8 बजेः 00 8 तकः 30 घटना के दिन की रात में उसने आरोपी को मृतक का पीछा करते देखा था। वह इस प्रभाव से भी गवाही देगा कि उसके बाद मृतक वापस नहीं आया था। इस बात का भी कोई संकेत नहीं है कि उनका घर सड़क के पास नहीं है और वहां से किसी को गुजरते हुए देखना संभव नहीं था। पीडब्लू-2 ने आगे कहा कि अपीलार्थी उसका भतीजा है और मृतक उसकी पोती थी। वह Ext.P2 सफीना फॉर्म, Ext.P3 मृत शरीर सहित कई अभियोजन दस्तावेजों को प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक था।

पंचायतनामा, Ext.P4 गिरफ्तारी ज्ञापन, Ext.P5 जिसमें अपीलार्थी का प्रकटीकरण बयान होता है और Ext.P6 जो कि मृत शरीर की बरामदगी ज्ञापन और इसकी पहचान ज्ञापन है और अदालत में, उन्होंने उन सभी की गवाही दी थी। उन्होंने इस प्रभाव से अपदस्थ किया कि पीड़ित का शव और उसके कपड़े भी घटना स्थल से बरामद किए गए थे। , अपीलार्थी के कहने पर जगन सिंधी का बड़ा। अपीलार्थी का तर्क है कि चूंकि पीडब्लू-2 मृतक के दादा हैं, इसलिए अभियोजन पक्ष को जब्ती और बरामदगी के महज़हरों के स्वतंत्र गवाह से पूछताछ करनी चाहिए थी। जैसा कि पहले देखा गया है, अपीलार्थी की ओर से पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा के बावजूद उसके साक्ष्य को बदनाम करने के लिए कुछ भी सामने नहीं आया। कोई दो विचार नहीं हो सकते हैं कि पीड़ित से संबंधित होना, अपने आप में, वीरेंद्र बनाम है।

मध्य प्रदेश राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.]

35. दलीप सिंह और ओआरएस में। बनाम पंजाब राज्य ने ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364 में रिपोर्ट की, जिसमें चार व्यक्तियों ने सजा के खिलाफ अपील की। दोहरी हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उन पर लगाई गई मौत के मामले में, इस अदालत ने निर्णय दिया:

" एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह उन स्रोतों से उत्पन्न नहीं होता है जिनके दूषित होने की संभावना है और

अक्सर सच्चाई की एक निश्चित गारंटी। हालाँकि, हम किसी भी व्यापक सामान्यीकरण का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारी टिप्पणियाँ केवल उन बातों का मुकाबला करने के लिए की जाती हैं जिन्हें अक्सर विवेक के सामान्य नियम के रूप में हमारे सामने रखा जाता है। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामला इस तक सीमित होना चाहिए और अपने स्वयं के तथ्यों द्वारा नियंत्रित किया जाए।

35.1 . खुर्शीद अहमद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य

[(2018) 7 एस. सी. सी. 429], इस न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 242,341 के तहत आरोपों के लिए अभियुक्त (प्रतिवादी) को बरी करने और दोषी ठहराने के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि कानून में कोई पूर्वधारणा नहीं हो सकती है कि रिश्तेदारों को असत्य गवाहों के रूप में माना जाना चाहिए। इसके विपरीत कारण तब दिखाया जाना चाहिए जब पक्षपात की याचिका यह दिखाने के लिए उठाई जाती है कि गवाह के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और गलत तरीके से फंसाने का कारण था।

अभियुक्त, इसे आगे पकड़ लिया गया। इस मामले में एक अतिरिक्त कारण है। पीडब्लू-2 भी अपीलार्थी-दोषी से संबंधित है। आरोपी उसका भतीजा है। इसलिए सवाल यह है कि पोती को खोने वाले ऐसे व्यक्ति को अपने भतीजे को इस मामले में क्यों फंसाना चाहिए। यह सुझाव कि अपीलार्थी के साथ उनका टकराव हुआ था, उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और फिर भी, उस सुझाव को स्थापित करने के लिए अपीलार्थी द्वारा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था। ए.

अस्वीकार किए जाने पर गवाह को दिए गए सुझाव की कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है क्योंकि कानून के अनुसार, साबित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की जाती है।

तथ्य ने सुझाव दिया, निश्चित रूप से, स्वीकार्यता के अधीन।

इसलिए

, उक्त [2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपीलार्थी ने इस मामले में शामिल जब्ती/बरामदगी के संबंध में एक तर्क दिया है कि श्री की गैर-जांच। मृतक के पिता गणेश अभियोजन पक्ष के लिए घातक हैं क्योंकि वे ऐसे अधिकांश दस्तावेजों के दूसरे गवाह हैं। यह अपीलार्थी की दलीलों में विरोधाभास और खोखलेपन को उजागर करेगा क्योंकि वह तर्क देगा कि पीडब्लू-2 मृतक का रिश्तेदार होने के नाते एक अन्य स्वतंत्र गवाह से दौरे और ठीक होने को साबित करने के लिए जाँच की जानी चाहिए थी और उसी सांस में वह इसे साबित करने के लिए मृतक के पिता की जाँच न करने के खिलाफ विवाद उठाएगा। इस संबंध में कानून की इस स्थिति पर ध्यान देना प्रासंगिक है कि साक्ष्य को केवल तौलना है और गिना नहीं जाना है और यह कि यह अनिवार्य रूप से अभियोजन पक्ष को यह तय करना है कि किसी विशेष बिंदु पर अपने मामले को स्थापित करने के लिए कितने गवाहों से पूछताछ की जानी है। इस मामले में पीडब्लू-2 का संस्करण इस तथ्य से संबंधित है कि मृतक को अंत में अपीलार्थी के साथ देखा गया था, जिसे पीडब्लू-4 पप्पु @पातिराम की मौखिक गवाही से समर्थन मिलेगा। पीडब्लू-4 का साक्ष्य और यह तथ्य कि पीडब्लू-2 से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, उसके इस कथन को बदनाम करने के लिए कि अपीलार्थी का अनुसरण कर रहा था मृतक उस मुद्दे पर पीडब्लू-2 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। संक्षेप में, उक्त भौतिक गवाहों पर इस बिंदु पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि मृतक को अंत में अपीलार्थी के साथ देखा गया था जैसा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया गया था।

36. पीडब्लू-12 के साक्ष्य को वास्तव में रेज़ गेस्टे के रूप में लिया गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 6 के तहत। सुखर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1999) 9 एस. सी. सी. 507] मामले में इस अदालत ने समझाया कि

प्रावधान कहा। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिस कथन को स्वीकार करने की मांग की गई थी, वह कृत्यों के साथ समकालीन रूप से किया गया होगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि रेस गेस्टे के सिद्धांत का सार यह है कि एक तथ्य जो, हालांकि मुद्दे में नहीं है, मुद्दे में तथ्य के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि "उसी लेनदेन का हिस्सा है" कि यह अपने आप में प्रासंगिक हो जाता है। घटना के बाद अभियुक्त का आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत स्वीकार्य हो सकता है, हालांकि यह मुद्दे में नहीं है, अगर यह मुद्दे में तथ्य से जुड़ा हुआ है।

37. पीडब्लू-12 का कहना है कि अपना काम खत्म करने के बाद वह रात में लगभग 9 बजे घर लौट रहा था। वह. यह अभिनिर्धारित करेगा कि उसने अपीलार्थी को फिर वीरेंद्र बनाम के बड़े से बाहर आते देखा।

मध्य प्रदेश राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.]

जगन सिंधी और अपने कपड़ों पर धूल उड़ाते हुए। यह सच है कि जिरह करते समय उन्हें एक सुझाव दिया गया था कि उन्होंने वास्तव में अपीलार्थी को बड़ा से बाहर आते नहीं देखा था और वह अपीलार्थी के साथ दुश्मनी के कारण अन्यथा गवाही दे रहे थे। यद्यपि पीडब्लू-12 ने उक्त को अस्वीकार कर दिया था।

सुझाव, अपीलार्थी ने स्थापित करने के लिए कोई और सबूत प्रस्तुत नहीं किया था

एक ही। पीडब्लू-12 के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच से पता चलता है कि उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपीलार्थी-अभियुक्त को जानता था और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसने उसे जादन सिंधी के बड़े से बाहर निकलते देखा था। पीडब्लू-12 के इस सिद्धांत को लागू करते हुए कि उसने अपीलार्थी को लगभग 9 बजे देखा थाः 00 दुर्भाग्यपूर्ण दिन शाम को, जगन सिंधी के बड़े से बाहर आना और उसके कपड़ों पर धूल उड़ाना, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत स्वीकार्य है। इसे अपीलार्थी के खिलाफ एक और दोषपूर्ण परिस्थिति के रूप में माना गया था। इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वह एक स्वतंत्र गवाह है, हालांकि उन्हें एक 'संयोग गवाह' के रूप में वर्णित किया गया था। इस संदर्भ में चाणक्य धीबर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2004 (1) अपराध 196) में निर्णय का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जबकि इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

“ हत्या के मुकदमे में स्वतंत्र गवाह को 'संयोग गवाह' के रूप में वर्णित करके यह निहित नहीं किया जा सकता है कि उनका साक्ष्य है

संदिग्ध और घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध है। हत्याएं गवाहों को पूर्व सूचना के साथ नहीं की जाती हैं; उनकी उपस्थिति का अनुरोध करना। यदि हत्या किसी आवास में की जाती है, तो घर के निवासी स्वाभाविक गवाह होते हैं। यदि सड़क पर हत्या की जाती है, तो केवल राहगीर ही गवाह होंगे। उनके साक्ष्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता है या इस आधार पर संदेह के साथ नहीं देखा जा सकता है कि वे केवल 'संयोग गवाह' हैं। 'संयोग गवाह' शब्द उन देशों से लिया गया है जहाँ हर आदमी के घर को उसका महल माना जाता है और हर किसी के पास कहीं और या किसी अन्य आदमी के महल में उसकी उपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण होना चाहिए। यह एक ऐसे देश में काफी अनुपयुक्त अभिव्यक्ति है जहां लोग कम औपचारिक और अधिक हैं। आकस्मिक "।

हमने इस पहलू पर जोर देने के लिए उपरोक्त निर्णय का उल्लेख किया कि एक गवाह का वर्णन 'संयोग गवाह' के रूप में नहीं किया जा सकता और न ही किया जाएगा।

यदि उसके कथन को संदिग्ध और इस प्रकार अस्वीकार्य बनाने के लिए कुछ भी सामने नहीं लाया गया तो ऐसे गवाह के साक्ष्य की स्वीकार्यता या प्रासंगिकता को स्वयं ही अस्वीकार नहीं करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी की ओर से पीडब्लू-12 की प्रतिपरीक्षा करने के बावजूद उसके कथन को संदिग्ध और अविश्वसनीय बनाने के लिए कुछ भी सामने नहीं आया। उन्होंने पदच्युत किया कि वह [2022] 4 एस. सी. आर. को जानते थे।

38. पीडब्लू-6 (जगदीश @जगन) का सबूत यह है कि वह बड़ा की मालिक लक्ष्मीबाई का बेटा है, जो कि घटना है। जगह। उनके अनुसार, उक्त संपत्ति उनकी मां ने खरीदी थी और इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्रमशः ठाकुरदास बाबा रोड और धन मिल हैं। वह आगे इस प्रकार गवाही देगाः

" उपरोक्त भूखंड पर चार कमरों का निर्माण पहले ही किया जा चुका था। वर्तमान में, उपरोक्त कमरे और भूखंड उपयोग में नहीं हैं। वर्तमान में, भूखंड एक बड़ा (बरामदा) के आकार में है, जिसकी सीमा टूट गई है। कमरे जर्जर हालत में हैं। उनके अनुसार, उस स्थान पर मिलों के विविध (खाली बोरे) रखे गए हैं और बड़ा की गिरी हुई मिट्टी की दीवार से बड़ा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, और यह उपयोग के योग्य नहीं है। उपरोक्त पहलुओं पर पीडब्लू-6 के साक्ष्य को चुनौती नहीं दी गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह ऐसी जगह से है, जो जीर्ण-शीर्ण और अनुपयोगी स्थिति में है, कि अपीलार्थी को पीडब्लू-12 द्वारा रात के दौरान बाहर निकलते देखा गया था। इसके अलावा, Ext.P5 प्रकटीकरण बयान के आधार पर पीड़ित का शव अगले ही दिन वहां से बरामद किया गया।

अपीलार्थी का और उसके कहने पर।

39. यह लगभग 04 बजे 20.09.2014 पर थाः 00 अपराह्न कि अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया था। Ext.P4 उसका गिरफ्तारी ज्ञापन है। हिरासत में रहते हुए उसने Ext.P5 दिया।

मृतक के शव को छिपाने के साथ-साथ उसके कपड़ों के बारे में प्रकटीकरण बयान। अपीलार्थी द्वारा इस तरह का प्रकटीकरण बयान देने के साथ-साथ उनकी बाद की वसूली भी साबित होती है। पीडब्लू-2 के माध्यम से। पीडब्लू-19 ने पदच्युत किया कि उसने Ext.P5 ज्ञापन दर्ज किया था। पीडब्लू-16 जितेंद्र नागाइच, तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन, डबरा, ने इस प्रभाव से गवाही दी कि अपीलार्थी के साथ वे घटना स्थल पर चले गए, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दिखाया गया है और वहाँ से पीड़ित का शव, बोरे के नीचे छिपा हुआ था।

अपीलार्थी के कहने पर वसूल किया गया। वे यह भी गवाही देंगे कि शरीर को कपड़े उतारने की स्थिति में देखा गया था। मृतक के कपड़े घटना स्थल से ही बरामद किए गए थे। पीडब्लू2 और पीडब्लू16 के मौखिक साक्ष्य कि मृतक लड़की का शव और उसके कपड़े उक्त घटना स्थल से बरामद किए गए थे, अपीलार्थी के कहने पर, पीडब्लू-5 श्री सोनिश वशिष्ठ, एक पत्रकार और पीडब्लू-11 श्री दीपक शुक्ला, जो उस समय के तहसीलदार और इलाके के कार्यकारी मजिस्ट्रेट थे, की मौखिक गवाही से पुष्टि हुई।

40. गोविंदराजू @गोविंदा बनाम राज्य [(2012) 4 एस. सी. सी. 722] मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि भरोसा करने में कुछ भी गलत नहीं होगा।

मन्नान बनाम बिहार राज्य [(2011) 5 एस. सी. सी. 317] 42. अब, हम दोषसिद्धि की पुष्टि करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा विचार में ली गई अन्य दोषपूर्ण परिस्थितियों का विज्ञापन करेंगे।

उल्लिखित अपराधों के लिए अपीलार्थी।

43. विवादित फैसले से पता चलेगा कि उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराने में हस्तक्षेप किया था।

अन्य बातों के अलावा, यह भी स्पष्ट है कि साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर उच्च न्यायालय घटना स्थल से एक अंडरवियर (अनुच्छेद एफ-शैडी के रूप में वर्णित) की बरामदगी की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य के संबंध में निचली अदालत के निष्कर्ष से असहमत था और उसे उलट दिया।

और विश्लेषण पर इसका परिणाम भी। फिर भी, उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या शेष परिस्थितिजन्य साक्ष्य और सहायक सामग्री अकेले अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करती हैं। उक्त दृष्टिकोण को गलत या अवैध नहीं कहा जा सकता है और वास्तव में, यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सही दृष्टिकोण है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि विभिन्न परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित थी, इस अदालत के फैसले के आलोक में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम

यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या सभी का संचयी प्रभाव परिस्थितियां इस निष्कर्ष पर ले जाती हैं कि वही मामला था

हत्या और आरोपी इस तरह की हत्या के लिए जिम्मेदार था। ए.

दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है यदि वह ऐसी है

एक चरित्र जो निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत है

अभियुक्त और केवल अपने अपराध के अनुरूप है। द.

दोषपूर्ण परिस्थितियाँ जिनका उपयोग इसके खिलाफ किया जा रहा है अभियुक्त को ऐसा होना चाहिए जो केवल एक परिकल्पना की ओर ले जाए

उसकी निर्दोषता की हर संभावना को हटा दें।

18. इसे अलग तरह से रखने के लिए, अदालत को यह पता लगाना चाहिए कि क्या

अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और परिस्थितियाँ

साबित हुआ कि उन्होंने खुद को एक पूरी श्रृंखला में बनाया, जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है। यदि दूसरी ओर,

अभियुक्त के खिलाफ साबित परिस्थितियाँ भी सुसंगत हैं।

अभियुक्त की बेगुनाही के साथ या एक उचित संदेह पैदा करता है

जिस तरह से अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि अपराध किया गया है,

अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार होगा।

(जोर दिया गया)

हमारा विचार है कि एक अलग दृष्टिकोण

साक्ष्य की सराहना करने से न्याय की व्यवस्था विफल हो जाती, क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में भी साक्ष्य की मात्रा मायने नहीं रखती, बल्कि यह इसकी गुणवत्ता है। दूसरे शब्दों में, सवाल केवल यह है कि क्या इस तरह के परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक पूरी श्रृंखला है

चरित्र कि यह अभियुक्त की निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत है और केवल उसके अपराध के अनुरूप है, उपलब्ध है।

44. PW.16-श्री। जितेंद्र नागाइच ने साबित किया Ext.P-8 जब्त ज्ञापन

जिसके द्वारा उनके आवास से एक पैंट और एक शर्ट बरामद की गई थी

अपीलार्थी। पीडब्लू-2 ने भी इसी प्रभाव से पदच्युत किया और उन्होंने Ext.P-8 जब्त ज्ञापन में अपने अंगूठे के निशान की गवाही दी। Ext.P-21 एफ. एस. एल. रिपोर्ट में उक्त पैंट पर मानव रक्त पाया गया (लेख-सी)। यह सच है कि Ext.P-21 रिपोर्ट के सीरोलॉजिकल भाग ने पैंट में पाए गए रक्त के धब्बों के समूह का संकेत नहीं दिया। इस पहलू को अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष और हमारे समक्ष यह तर्क देने के लिए उजागर किया गया था कि अभियोजन पक्ष की यह स्थापित करने में विफलता को देखते हुए कि उस पर पाए गए रक्त के धब्बे मृतक के थे, यह किसी भी तरह से उसे अपराध से नहीं जोड़ सकता था और इसलिए, इसे दोषारोपण करने वाले वीरेंद्र बनाम के रूप में नहीं लिया जा सकता था।

उसके खिलाफ स्थिति। पहली बार में यह विवाद आकर्षक और स्वीकार्य प्रतीत होगा। हालांकि, विवादित फैसले के अनुसार

उच्च न्यायालय ने कंस बेहरा बनाम ओरीसा राज्य (ए. आई. आर.) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करके उक्त तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया था।

1987 एससी 1507)। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने खुलासा किया कि जब दोषसिद्धि केवल रक्त की उपस्थिति के आधार पर दर्ज की जानी है

संबंधित अभियुक्त से जब्त की गई किसी भी वस्तु (वस्तुओं) में दाग को अभियोजन पक्ष को संदेह से परे साबित करना होगा कि उस वस्तु (वस्तुओं) पर पाया गया रक्त मृतक का है और इसके लिए जब्त की गई वस्तु (वस्तुओं) पर पाया गया रक्त का समूह मृतक के समूह के साथ मेल खाना चाहिए। साथ ही, इसमें आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब अन्य परिस्थितियाँ उपलब्ध हों तो रक्त समूह का पता न चलना अपने आप में घातक नहीं होगा। आर. शाजी बनाम केरल राज्य [(2013) 14 एस. सी. सी. 266] मामले में इस न्यायालय का निर्णय भी इस संदर्भ में प्रासंगिक है। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 30. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि चूँकि हेलीकॉप्टर पर पाए गए रक्त के धब्बों के रक्त समूह का पता नहीं लगाया जा सका है, इसलिए उक्त हेलीकॉप्टर की बरामदगी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 31.
सीरम के विघटन के कारण रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में सीरोलॉजिस्ट की विफलता का मतलब यह नहीं है कि कुल्हाड़ी पर अटक गया रक्त मानव रक्त नहीं हो सकता था। कभी-कभी यह संभव है, या तो क्योंकि दाग अपने आप में अपर्याप्त है, या हेमेटोलॉजिकल परिवर्तनों और प्लाज्माटिक जमावट के कारण, कि

सीरोलॉजिस्ट रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में विफल हो सकते हैं। हालाँकि, ऐसे मामले में, जब तक कि संदेह एक उचित आयाम का न हो, जिसे एक न्यायिक रूप से कर्तव्यनिष्ठ मन कुछ निष्पक्षता के साथ ग्रहण कर सकता है, इस संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। एक बार जब अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के अनुसरण में वसूली की जाती है, तो रक्त समूह (ओं) का मिलान या गैर-मिलान महत्व खो देता है। (प्रभु बाबाजी नवल बनाम। बॉम्बे राज्य, राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम, गुरा सिंह बनाम। राजस्थान राज्य, जॉन पांडियन बनाम। राज्य और सुनील क्लिफोर्ड डेनियल बनाम। पंजाब राज्य) 32. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने पाया कि इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि रक्त की उत्पत्ति के बारे में एक रिपोर्ट के अभाव में, आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह केवल समय बीतने के कारण है कि रक्त [2022] 4 एस. सी. आर. नहीं हो सकता है।

सफलतापूर्वक वर्गीकृत। इसलिए कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

रक्त के विघटित होने आदि की रिपोर्ट को लापता नहीं कहा जा सकता है। लिंक, जिसके आधार पर परिस्थितियों की श्रृंखला हो सकती है

टूटा हुआ माना जाता है "।

(जोर दिया गया)

हाथ में मामले में रिकॉर्ड पर साक्ष्य से पता चलेगा कि

यहाँ अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल एक अनुमान पर आधारित नहीं थी।

यह पता लगाना कि अपीलार्थी के निवास से जब्त की गई पैंट (अनुच्छेद-सी) में मौजूद रक्त के धब्बे मृतक के हैं। साथ ही, यह एक तथ्य है कि इसे दोषपूर्ण परिस्थितियों में से एक के रूप में लिया गया था। यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि उक्त पैंट उसके आवास से बरामद नहीं की गई थी। वास्तव में, Ext.P8 के तहत यह उनके आवास से बरामद किया गया था और यह तथ्य पीडब्लू 2 और 16 के माध्यम से साबित हुआ था। Ext.P21 से पता चलता है कि विश्लेषण पर उस पर फंसे रक्त के दाग मानव मूल के होने का पता चला था। शाजी के निर्णय (उपरोक्त) के आलोक में एक बार जब रक्त के धब्बों का मानव मूल के रूप में पता चल जाता है तो रक्त समूह का पता न चलने से कोई लाभ नहीं होगा। तथ्यात्मक स्थिति में अंतर के बावजूद कानून की व्याख्या कि केवल रक्त समूह का पता न चलने के कारण अभियुक्त को ऐसी स्थिति में किसी भी लाभ का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। निश्चित रूप से, ऐसी परिस्थितियों में परिस्थितियों की श्रृंखला में संबंध न होने के मामले का दावा उस एकमात्र अंक पर नहीं किया जा सकता है और साथ ही, अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति/विफलता जब धारा 313 Cr.P.C के तहत उसकी जांच के दौरान उक्त आपत्तिजनक परिस्थिति रखी गई थी।

इन परिस्थितियों में, नीचे दिए गए न्यायालयों को दोषी नहीं पाया जा सकता है।

इसे अपीलार्थी के खिलाफ एक दोषपूर्ण परिस्थिति के रूप में लेने में।

45. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक और दोषपूर्ण परिस्थिति पर विचार किया गया

अपीलार्थी के खिलाफ उसके चेहरे और गर्दन पर नाखून के निशान हैं।

और इसके लिए स्पष्टीकरण देने में भी उनकी विफलता। इस संबंध में पीडब्लू-17 (डॉ. हरीश आर्य) का एक्सट के साथ साक्ष्य। पी24-एमएलसी पर भरोसा किया गया था। पीडब्लू-17 वह डॉक्टर था जिसने अपीलार्थी की जाँच की जब गिरफ्तारी के बाद उसे चिकित्सीय जाँच के लिए पेश किया गया। उन्होंने अपीलार्थी के शरीर पर निम्नलिखित चार नाखून खरोंच पाए:

1. 1. 5 से. मी x। 02 बाएं जबड़े के कोण के पास बाईं ओर गर्दन पर मिमी।

2. 1 चोट संख्या के सामने गर्दन के बाईं ओर सेमी x 2 मिमी। 1 .

3. 0. 5 बाएँ गाल पर सेमी x 2 मिमी।

4. 0. 5 बाएं जबड़े के कोण पर सेमी x 2 मिमी।

46. पीडब्लू-17 के अनुसार उन चोटों को लगभग 1 बजे 21.09.2014 पर पाया गया थाः 00 पी. एम. और वे चोटें 48 घंटे पहले लगी थीं।

उसकी जाँच। जब धारा 313 Cr.P.C के तहत उसकी जांच के दौरान अपीलार्थी के सामने इस आपत्तिजनक परिस्थिति को रखा गया था, तो उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि इस तरह की चोटें कैसे हुईं। जाहिर है, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अपीलार्थी को उस घटना में ऐसी चोटें आईं जो 19.09.2014 पर लगभग 09 बजे हुई थींः 00 पी. एम., पी. डब्ल्यू.-17 के साक्ष्य को Ext.P24 के साथ ध्यान में रखने के बाद और अपीलार्थी से स्पष्टीकरण के अभाव में कि वे चोटें कैसे लगी हैं। उच्च न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष को बाधित नहीं किया। हम इस तरह के निष्कर्ष और निष्कर्ष पर कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं पाते हैं।
47. हम पहले ही देख चुके हैं कि चूंकि उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप किया था, इस सवाल पर कि क्या बाकी दोषारोपण करने वाली परिस्थितियों ने एक पूरी श्रृंखला बनाई है जो केवल अपीलार्थी के अपराध की ओर ले जाती है, जिसमें उसकी निर्दोषता के पक्ष में सभी परिकल्पनाओं को शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है। हम पहले से ही उन सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों और सामग्री पर विस्तार से विचार कर चुके हैं जो उच्च न्यायालय के समक्ष उनका समर्थन करने के लिए उपलब्ध हैं। उनमें से प्रत्येक को फिर से संदर्भित करना बिल्कुल अनावश्यक है। इसके लिए पर्याप्त है।

परिस्थितियाँ। धारा 318, Cr.P.C के तहत जाँच किए जाने के दौरान सभी प्रश्नों के संबंध में उनके उत्तर या तो 'यह गलत है' या 'मैं नहीं करता' थे। जानते हैं '। अपीलार्थी के लिए बिल्कुल कोई मामला नहीं है कि सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों को उसके सामने नहीं रखा गया था। पट्टू राजन के मामले (ऊपर) और अन्य निर्णयों जैसे कि त्रिमुख मारौती किरकान को देखते हुए

बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5300) जो ऊपर उल्लिखित दोषपूर्ण परिस्थितियों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाएगा। सभी उपरोक्त परिस्थितियों का संचयी प्रभाव, जिसे विस्तार से संदर्भित किया गया है। इससे पहले, निश्चित रूप से अपीलार्थी के अपराध के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को उचित ठहराएगा।

22] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी समवर्ती रूप से

निष्कर्ष निकाला कि पीड़ित की मृत्यु प्रकृति में हत्या है। हमने अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर पाया है कि अदालतों ने सही पाया है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था। शैतानी और वीभत्स तरीके से

49. यद्यपि अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष मृतक की आयु पर विवाद किया था, लेकिन विवादित निर्णय से पता चलता है कि उक्त विवाद को अपीलीय स्तर पर छोड़ दिया गया था। जब ऐसा होता है, तो अपीलार्थी को अब इन अपीलों में घटना के समय मृतक की उम्र पर विवाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अन्यथा भी, अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि पीडब्लू 1 से 3, जो क्रमशः पीड़ित की माँ, नाना और नानी हैं, ने बयान दिया था कि मृतक की आयु 7 से 8 वर्ष थी। पीडब्लू-1 आगे यह बयान देगा कि मृतक सरकारी स्कूल में कक्षा-1 में पढ़ रहा था। स्कूल लद्दराम के पास स्थित है। पीडब्लू-10 ने डॉ. आशा सिंह के साथ पीड़ित के शरीर का शव परीक्षण किया और तैयार की गई Ext.P17 रिपोर्ट में उल्लेख किया कि मृतक 8 वर्ष का प्रतीत होता है और उसने अदालत के समक्ष जांच के दौरान इस आशय की गवाही भी दी थी। इसके अलावा, पीडब्लू-9 जो सरकार में प्रधानाध्यापिका-प्रभारी थीं। प्राथमिक बालक विद्यालय, जवाहरगंज ने लाया और साबित किया Ext.P14-विद्यालय में प्रवेश मृतक का आवेदन, Ext.P15-प्रवेश रजिस्टर और जिसकी प्रति को Ext.P15C के रूप में चिह्नित किया गया था और साथ ही Ext.P16 जो स्कूल से जारी किया गया उसका आयु सत्यापन प्रमाण पत्र है। वे उसकी प्रवेश संख्या 1937 और जन्म तिथि 10.09.2006 के रूप में प्रकट करेंगे। जिरह के दौरान अपीलार्थी द्वारा उसके साक्ष्य को गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई थी। हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई विरोधाभासी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। अभिलेख पर साक्ष्य से प्रकट बलात्कार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और अदालतों के समवर्ती निष्कर्ष से पहले यहाँ चर्चा की गई कि अपीलार्थी ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय गंभीर भेदक यौन हमले का अपराध किया है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

50. अब जिस सवाल पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या पीड़ित की हत्या हत्या के बराबर है या क्या यह इसके अंतर्गत आता है।

धारा 304 (1) या 304 (2) जैसा कि अपीलार्थी द्वारा प्रतिवाद किया गया है। विवादित फैसले से पता चलेगा कि उच्च न्यायालय निचली अदालत के इस निष्कर्ष से सहमत था कि पीड़ित की हत्या हत्या के बराबर है। गैर इरादतन हत्या के मामलों में सही दृष्टिकोण यह है कि पहले यह पता लगाया जाए कि क्या अपराध चार खंडों में से किसी के तहत आता है। , खंड

आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत पहले से चौथे तक। यदि ऐसा पाया जाता है, तो न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के पांच अपवादों में से किसी एक के दायरे में आता है, जो एक गैर-इरादतन हत्या को 'हत्या के बराबर नहीं' बना देगा। यदि अपराध साबित हो जाता है, तो उक्त अपवादों में से किसी एक के तहत आने वाला अपराध धारा 304 के तहत दंडनीय होगा, या तो भाग 1 या भाग 2 के तहत, जैसा भी मामला हो, या अन्यथा यह आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय हत्या होगी। हाथ में मामले में निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण किया था और पाया था कि अपीलार्थी ने इस तथ्य की परवाह किए बिना पीड़ित की गर्दन को इतना जोर से दबाया था कि वह केवल 8 वर्ष की थी और आंतरिक रक्तस्राव का कारण बनी थी। मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था। मृतक की गर्दन पर लगी चोटों की प्रकृति से उसके द्वारा लगाए गए दबाव का पता चलता है।

गर्दन पर अपीलार्थी। सवाल पर विचार करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पीड़ित केवल 8 साल की उम्र की एक असहाय लड़की थी। इरादा एक व्यक्तिपरक तत्व है और प्रत्येक समझदार व्यक्ति को माना जाना चाहिए।

उसके गुप्तांगों पर लगी गंभीर चोटों से सामने आए वीभत्स तरीके, जिससे केवल मृत्यु हुई, का अनुमान परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। अगर बलात्कार के अपराध से पहले गर्दन को ऐसे बल से सिकोड़ने का कार्य जिसके परिणामस्वरूप कथित चोटें आईं, तो जिस तरीके से उसके साथ बलात्कार किया गया था, उसे केवल जानबूझकर किए गए कार्य के रूप में लिया जाना चाहिए कि यह इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है। इस प्रकार, हत्या की मृत्यु को किसी भी कोण से देखने पर आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड 1 या खंड 4 के अंतर्गत आता है। अपीलार्थी द्वारा यह तर्क देने का एक कमजोर प्रयास किया गया कि अदालतों ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत दोषी ठहराने में गलती की थी, जो आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत दंडनीय है और यदि उसे पीड़ित की मौत के लिए दोषी ठहराया जाना है तो यह आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत होना चाहिए था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक बार जब यह पाया जाता है कि यह अधिनियम आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत 4 खंडों में से किसी एक के तहत आता है, तो इसे इसके दायरे से बाहर लाने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि यह आई. पी. सी. की धारा 300 के पांच अपवादों में से किसी एक के तहत आता है। अभिलेख पर कुछ भी नहीं है और कोई विवाद भी नहीं उठाया गया था

अपीलार्थी, सामग्री के समर्थन के साथ, यह दिखाने के लिए कि उक्त पाँच अपवादों में से कोई एक इस मामले में आकर्षित करता है। वास्तव में, अपीलार्थी द्वारा लिखित निवेदन में आग्रह किया गया और लिया गया एकमात्र तर्क यह है कि मृतक की मृत्यु उसकी गर्दन पर चोट के कारण हुई थी जो बलात्कार के दौरान काफी स्वाभाविक रूप से हुई थी। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उक्त तर्क स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है और किसी भी तरह से, आई. पी. सी. की धारा 300 के पांच अपवादों में से किसी एक के तहत अपराध को लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। चर्चा का लंबा और छोटा हिस्सा यह है कि निचली अदालत के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी कि अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय हत्या करने का दोषी है। इस प्रकार, मामले की पूरी तरह से सावधानीपूर्वक जांच करने पर, हम निचली अदालत और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष के संबंध में कोई विकृति या प्रकट अवैधता नहीं पाते हैं।

न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी ने आई. पी. सी. की धारा 272,376 (2) (आई) आई. पी. सी. और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध किए थे।

अपीलार्थी को आजीवन कठोर कारावास और Rs.2000/- के जुर्माने का भुगतान करने और जुर्माने का भुगतान न करने की सजा सुनाई गई थी। एक वर्ष का कारावास। अपीलार्थी द्वारा उल्लिखित अपराधों के लिए दोषसिद्धि के लिए निचली अदालत द्वारा इस प्रकार दी गई सजा, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, में हस्तक्षेप करने वाली कोई भी विस्तारित परिस्थितियाँ हमारे ध्यान में नहीं लाई गईं।

52. अगला सवाल यह है कि क्या निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा और उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के लिए पुष्टि की गई है

मामले ', अपराधी बड़े पैमाने पर और सुधार से परे समाज के लिए एक खतरा बन गया है और उसका उन्मूलन ही उन्मूलन का एकमात्र तरीका है धमकी दे रहे हैं। उक्त प्रश्न का निर्णय लेने के लिए विभिन्न पहलुओं का होना आवश्यक है -

विचार किया। निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत दोषसिद्धि के लिए सजा देने के लिए किए गए विचार की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, जो आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय है, हमारा विचार है कि मौत की सजा की शुद्धता के बारे में प्रश्न वीरेंद्र बनाम।

धारा 354 (3) Cr.P.C के तहत वैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को दिए गए पुरस्कार पर आगे विचार करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक जीवन की समाप्ति प्रदान करने के लिए, सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है। वैधानिक

धारा 354 (3) Cr.P.C के तहत आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

" जब मृत्युदंड या, वैकल्पिक रूप से, आजीवन कारावास या वर्षों की अवधि के कारावास के साथ दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि होती है, तो निर्णय में दी गई सजा के कारण बताए जाएंगे, और मृत्यु की सजा के मामले में, विशेष कारण बताए जाएंगे। इस तरह के अपराध के लिए।

53. उपरोक्त विषय पर यह न्यायालय पहले ही सिद्धांतों को स्पष्ट कर चुका है। इन तीनों न्यायाधीशों की पीठ ने पप्पु बनाम पप्पु मामले में इस तरह के फैसलों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील सं। 1097-1098 / 2018 , 9.2.2022 पर उच्चारण करें। शंकर किशनराव खाड़े बनाम राज्य मामले में निर्णय का अनुच्छेद 49।

महाराष्ट्र ने (2013) 5 एस. सी. सी. 546 में 'अपराध परीक्षण', 'आपराधिक परीक्षण' और 'दुर्लभतम अपराध परीक्षण' के आवेदन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उसमें 'दर परीक्षण' का उल्लेख किया गया था। उक्त पैराग्राफ में, पिछले निर्णयों के संदर्भ में, गंभीर परिस्थितियों (अपराध परीक्षण) और कम करने वाली परिस्थितियों (आपराधिक परीक्षण) का वर्णन नीचे किया गया है:

" 49. बचन सिंह और माची सिंह के मामलों में, इस अदालत ने फैसला सुनाया

सजा देने के लिए विभिन्न सिद्धांतों को नीचे दें: (राजेन्द्र

प्रल्हादराव मामला, एस. सी. सी. पीपी. 47-48 , पैरा 33)

" बिगड़ती परिस्थितियाँ (अपराध परीक्षण)

(1) अभियुक्त द्वारा हत्या, बलात्कार, सशस्त्र डकैती, अपहरण आदि जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित अपराधों को मृत्युदंड या अपराधों के लिए दोषसिद्धि के पूर्व रिकॉर्ड के साथ किया जाता है। गंभीर बीमारी का एक महत्वपूर्ण इतिहास रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया

(2) अपराध उस समय किया गया था जब अपराधी को शामिल किया गया था एक और गंभीर अपराध करने में।

(3) यह अपराध बड़े पैमाने पर जनता में भय मनोविकृति पैदा करने के इरादे से किया गया था और सार्वजनिक स्थान पर एक हथियार या उपकरण द्वारा किया गया था जो स्पष्ट रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है।

(4) हत्या का अपराध फिरौती के लिए या धन या मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था।

(7) यह अपराध एक व्यक्ति द्वारा कानूनी हिरासत में रहते हुए किया गया था। (8) हत्या या अपराध किसी व्यक्ति को रोकने के लिए किया गया था।

अपने या किसी अन्य के वैध कारावास के स्थान पर गिरफ्तारी या अभिरक्षा जैसे अपने कर्तव्य का कानूनी रूप से पालन करना। उदाहरण के लिए, 90 की हत्या एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के तहत अपने कर्तव्य का वैध निर्वहन किया था।

(9) जब अपराध पूरे परिवार या किसी विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या का प्रयास करने जैसे अनुपात में भारी हो। (10) जब पीड़ित निर्दोष, असहाय हो या कोई व्यक्ति उस पर निर्भर हो

संबंधों और सामाजिक मानदंडों का विश्वास, जैसे कि एक बच्चा, असहाय महिला, एक बेटी या भतीजी जो पिता/चाचा के साथ रहती है और

इस तरह के एक भरोसेमंद द्वारा अपराध के साथ लगाया गया

व्यक्ति।

(11) जब हत्या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए की जाती है जो पूरी तरह से भ्रष्टता और नीचता का प्रमाण देता है।

(12) जब बिना उकसावे के निर्मम हत्या की जाती है। (13) अपराध इतनी बेरहमी से किया जाता है कि यह न केवल न्यायिक विवेक को बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर देता है।

परिस्थितियों को कम करना (आपराधिक परीक्षण)

(1) जिस तरह और परिस्थितियों में अपराध किया गया था, उदाहरण के लिए, अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक

सामान्य पाठ्यक्रम में इन सभी स्थितियों के विपरीत अशांति या अत्यधिक उत्तेजना।

(2) अभियुक्त की आयु एक प्रासंगिक विचार है लेकिन अपने आप में एक निर्धारक कारक नहीं है।

(3) अभियुक्त के फिर से अपराध करने में लिप्त नहीं होने की संभावना और अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना।

(5) ऐसी परिस्थितियाँ जो जीवन के सामान्य क्रम में इस तरह के व्यवहार को संभव बनाती हैं और उस स्थिति में मानसिक असंतुलन को जन्म दे सकती हैं जैसे कि निरंतरता उत्पीड़न या, वास्तव में, मानव व्यवहार के इतने चरम पर ले जाना कि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, आरोपी का मानना था कि वह अपराध करने में नैतिक रूप से उचित था।

(6) जहां साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर न्यायालय का विचार है कि अपराध पूर्व निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था और मृत्यु के परिणामस्वरूप एक और अपराध हुआ था और यह कि इसे प्राथमिक अपराध के किए जाने के परिणाम के रूप में माने जाने की संभावना थी। (7) जहां एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही पर भरोसा करना बिल्कुल असुरक्षित है, हालांकि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को घर लाया है। "

इस अदालत ने आगे कहाः -

" 52. जैसा कि ऊपर बताया गया है, बिगड़ती परिस्थितियाँ, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं हैं, इसलिए कम करने वाली परिस्थितियाँ भी हैं। मेरे सुविचारित विचार में, पुरस्कार देते समय हमें जिन परीक्षणों के लिए आवेदन करना है

मृत्युदंड "अपराध परीक्षण", "आपराधिक परीक्षण" और "आर-आर परीक्षण" हैं न कि "संतुलन परीक्षण"। मृत्युदंड देने के लिए, "अपराध परीक्षण" को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना चाहिए, यानी, 100% और "आपराधिक परीक्षण" 0 प्रतिशत, यानी आरोपी के पक्ष में कोई कम करने वाली परिस्थिति नहीं। यदि अभियुक्त के पक्ष में कोई परिस्थिति है, जैसे कि

अपराध करने का इरादा, सुधार की संभावना, युवा

अभियुक्त की आयु, समाज के लिए खतरा नहीं, कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, आदि "आपराधिक परीक्षण" अभियुक्त को मृत्युदंड से बचने के लिए अनुकूल हो सकता है। भले ही दोनों परीक्षण संतुष्ट हों, यानी पूरी हद तक बिगड़ती परिस्थितियाँ और अभियुक्त के पक्ष में कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ न हों, फिर भी हमें अंत में दुर्लभतम मामले के परीक्षण (आर-आर परीक्षण) को लागू करना होगा। आर-आर परीक्षण समाज की उस धारणा पर निर्भर करता है जो "समाज-केंद्रित" है और नहीं

" न्यायाधीश-केंद्रित ", अर्थात, क्या समाज कुछ प्रकार के अपराधों के लिए मौत की सजा देने को मंजूरी देगा या नहीं। उस परीक्षण को लागू करते समय, अदालत को विभिन्न कारकों [2022] 4 एस. सी. आर. पर गौर करना होगा।

जैसे समाज की घृणा, अत्यधिक आक्रोश और कुछ प्रकार के अपराधों के प्रति घृणा जैसे यौन हमला और बौद्धिक रूप से अक्षम नाबालिग लड़कियों की हत्या, शारीरिक रूप से विकलांग, उन विकलांग वृद्ध और कमजोर महिलाओं आदि। उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। अदालतें मौत की सजा देती हैं क्योंकि स्थिति की मांग के कारण, संवैधानिक मजबूरी के कारण, लोगों की इच्छा से परिलक्षित होती है न कि लोगों की इच्छा से।

न्यायाधीशों "।

54. विशेष रूप से उसमें निर्दिष्ट समान और ऐसे अन्य निर्णयों को ध्यान में रखने के बाद, पप्पु के मामले (ऊपर) में यह इस प्रकार माना गयाः

" 41. यह आसानी से देखा जा सकता है कि जबकि इस न्यायालय ने कानून पर मृत्युदंड देना उचित पाया है जो निवारक के रूप में काम करता है और साथ ही समाज के आह्वान के उचित जवाब में भी।

उचित मामलों में उचित सजा लेकिन साथ ही, दंड के सिद्धांत दूसरे को संतुलित करने के लिए विकसित हुए हैं।

समाज के दायित्व, अर्थात, मानव जीवन के संरक्षण के लिए, चाहे वह अभियुक्त का हो, जब तक कि उसकी समाप्ति अपरिहार्य न हो और समाज के अन्य सामाजिक कारणों और सामूहिक विवेक की सेवा करना हो। इससे 'दुर्लभतम परीक्षण' का विकास हुआ है और फिर, 'अपराध परीक्षण' और 'आपराधिक परीक्षण' के संदर्भ में इसका उचित संचालन हुआ है। न्यायिक प्रक्रिया से अपेक्षित नाजुक संतुलन ने भी लोगों के अधिकारों को कम करने में एक और मध्य मार्ग दृष्टिकोण को जन्म दिया है।

आजीवन कारावास की सजा देते समय छूट या समय से पहले रिहाई, विशेष रूप से जब जघन्य प्रकृति के अपराधों से निपटते हैं जैसे

वर्तमान में "।

55. निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले को देखने पर, हमारा विचार है कि पूंजी सौंपने में

अदालतों को जो सजा सुनाई गई थी, वह अपराध करने की भयावह विशेषता और पीड़ित की दयनीय स्थिति है। निचली अदालत ने सजा के सवाल पर विचार किया और उसी दिन सजा सुनाई जिस दिन अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया था। हमें यह नहीं समझा जाएगा कि यह पूरी तरह से अवैध और अस्वीकार्य है।

अंततः, जो आवश्यक है वह है दिमाग के उपयोग के साथ उग्र और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करना। आई. पी. सी. की धारा302 के तहत दोषसिद्धि के लिए सजा देने के सवाल पर विचार करते समय उन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। उक्त परिस्थितियों में, हम वर्तमान मामले में सजा के प्रश्न पर वीरेंद्र बनाम के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

मध्य प्रदेश राज्य [सी. टी. रविकुमार, जे.]

इस न्यायालय द्वारा मृत्युदंड देने के मामले में। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलार्थी के कार्य ने समुदाय के अत्यधिक आक्रोश को आमंत्रित किया है और इसलिए, यह एक निवारक सजा का हकदार है ताकि एक संदेश दिया जा सके समाज कि इस तरह के अपराध किसी के द्वारा दोहराए नहीं जाने चाहिए। संक्षेप में, हमारा विचार है कि मृत्युदंड देने से पहले 'अपराध परीक्षण' और 'आपराधिक परीक्षण' का पालन करने की आवश्यकता है।

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का भी आवश्यक ध्यान आकर्षित करना।

56. यह सच है कि सभी हत्याएँ अमानवीय हैं। पूँजी लगाने के लिए

सजा, अपराध प्रकृति में असामान्य होना चाहिए जहां कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद भी न्यायालय की राय होनी चाहिए कि आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त है और मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। घृणित और क्रूर प्रकृति अपराध आयोग, अर्थात। , एक आठ साल की बच्ची का क्रूर बलात्कार और हत्या, जो कोई और नहीं बल्कि अपने चचेरे भाई की बेटी है, वह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, निश्चित रूप से एक भयावह परिस्थिति है। पीड़ित के निजी अंगों पर लगी चोटों की प्रकृति जैसा कि Ext.P17 रिपोर्ट के साथ पीडब्लू10 के साक्ष्य से स्पष्ट है, निश्चित रूप से होगी।

विवेक को आघात दें। साथ ही, मृत्युदंड देने के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और ऐसी परिस्थितियों में, निर्विवाद और निर्विवाद तथ्य कि अपीलार्थी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी और वह एक गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से है और जेल के अंदर उसके बेदाग आचरण पर भी किसी का ध्यान नहीं जा सकता है। इसी प्रकार यह भी एक तथ्य है कि अपराध करने के समय अपीलार्थी की आयु 25 वर्ष थी। इसलिए, इस मुद्दे को उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हम सुधार और पुनर्वास की संभावना और संभावना को खारिज करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

अपीलार्थी। चर्चा की लंबी और छोटी बात यह है कि वर्तमान मामले को 'दुर्लभतम' की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। दुर्लभ मामले जिनमें मृत्युदंड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

57. उपरोक्त परिस्थितियों में, अगला सवाल यह है कि इस मामले में हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्धि के लिए क्या अतिरिक्त राशि है।

स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य [(2008) 13 एस. सी. सी. 767] मामले में निर्णय में, दंड के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और एक ऐसे मामले में एक न्यायपूर्ण, उचित और उचित पाठ्यक्रम रखने की दृष्टि से जहां न्यायालय की राय है कि आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त है लेकिन मृत्युदंड का अधिरोपण अनुचित है, इस न्यायालय ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम को अपनायाः

[2022] 4 एस. सी. आर. के प्रावधानों को लागू किए बिना आजीवन कारावास प्रदान करना।

एक निश्चित अवधि के लिए वास्तविक कारावास से पहले समय से पहले रिहाई/छूट। इस स्थिति को भारत संघ बनाम श्रीहरण [(2016) 7 एस. सी. सी. 1] में निर्णय में सहमति के साथ दोहराया गया था, इस प्रकारः

" हम मानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद में निर्धारित अनुपात

(ऊपर दिया गया है) कि सजा की एक विशेष श्रेणी; मृत्यु के बजाय आजीवन कारावास या 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है और उस श्रेणी को छूट के आवेदन से परे रखना अच्छी तरह से स्थापित है और हम उक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से देते हैं।

58. इस प्रकार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हाथ में एक असहाय 8 वर्षीय लड़की है, जो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है।

अपीलार्थी की चचेरी बहन के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और वह भी, अभिलेख पर साक्ष्य से सामने आए बेहद क्रूर तरीके से, हमारा विचार है कि स्वामी श्रद्धानंद के मामले (ऊपर) में निर्णय में अपनाया गया और श्रीहरण के मामले (ऊपर) में दोहराया गया पाठ्यक्रम इस मामले में अपनाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मृत्युदंड को कम करते समय भी, अपीलार्थी को पर्याप्त अवधि के लिए समय से पहले रिहाई/छूट के प्रावधानों को लागू किए बिना आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। इस तरह के विचार पर हमारा विचार है कि धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा देना न्यायसंगत और उचित होगा। आई. पी. सी., समय से पहले रिहाई/छूट के प्रावधानों को लागू किए बिना 30 (तीस) साल की अवधि के लिए वास्तविक कारावास का प्रावधान करके।

59. इन परिस्थितियों में, इन अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है -

इसके नीचेः

(i) अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा302 और 376 (2) (i) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है।

और उसके लिए उसे दी गई सजा की पुष्टि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए की जाती है।

((ii) तथापि, अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 300 के अधीन अपराध के लिए दी गई मृत्युदंड को आई. पी. सी. की धारा 302 के अधीन दंडनीय इस शर्त के साथ आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है कि वह किसी भी अपराध के लिए वास्तविक कारावास से गुजरने से पहले समयपूर्व रिहाई या छूट का हकदार नहीं होगा।

तीस (30) वर्ष की अवधि; वीरेंद्र बनाम।

(iii) जुर्माना राशि और चूक शर्तों सहित अपीलार्थी को दी गई सजा की अन्य शर्तें भी पुष्ट हैं। अपीलार्थी को दी गई सभी मूल सजाएँ चलेंगी।

साथ-साथ।

अंकित ज्ञान

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)